खण्ड-305, अंक-3
गुरूवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1895
(10 मई, 1973 ई0)

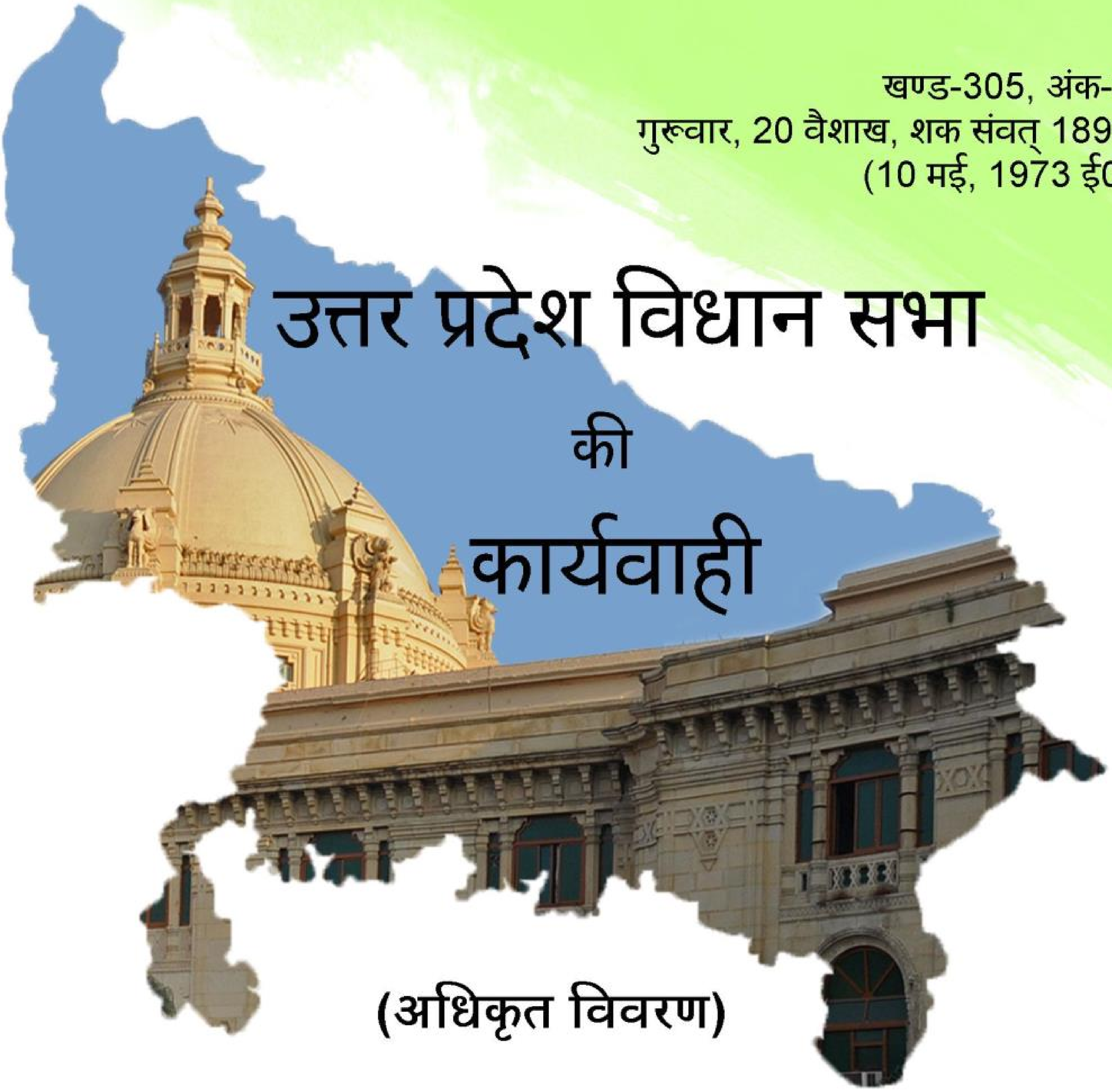

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 305 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	215–219
मुख्य मंत्री के निवास पर श्री विश्वनाथ कपूर तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा उन पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग (जारी)	219–230
प्रश्नोत्तर	230–266
मुख्य मंत्री के निवास पर श्री विश्वनाथ कपूर तथा अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा उन पर कथित लाठी चार्ज के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग	267
सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेंस) आय-व्ययक (सदन के पटल पर रखा गया)	267
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी) ..	267
विविध विषय	267–268
पुलिस अधीक्षक, देवरिया तथा परगनाधिकारी, पडरौना, के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी	268–271
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	271
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	272–277
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों द्वारा त्याग-पत्र देने के विषय पर बधाई देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	277–279
उन्नाव निवासी, डाक्टर वाणीदत्त दीक्षित, पर हुये आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य	279–284
प्रधान मंत्री के गोरखपुर आगमन के अवसर पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य..	284–289
मिर्जापुर में जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तथा उन्हें जेल में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	289–294
1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक निर्माण-कार्य, जो राजस्व से किये जाते हैं, अनुदान संख्या 34—संचार साधनों का सुधार, अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	294–312
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 (पारित) ..	312–327
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 (पारित)	327–330
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	330
गोंडा में मोहर्रम के दिन चेयरमैन, नगरपालिका द्वारा दंगा कराने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	330–333
नत्थियां	334–341

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 10 मई, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-356

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमा शंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती, (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्ण कान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशो राम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर तिवारी, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

हैं वहां से हम लोगों ने देखा। पुलिस से घेरवा दिया है, जब हम आ रहे थे। मैं इस गेट पर रहता हूं, पश्चिम की तरफ से गेट से सारे लोग निकले। मुख्य मंत्री से मिलना कोई पाप है? जो इस देश का प्रधान मंत्री है जनता उनसे मिलने जाती है या मुख्य मंत्री से मिल कर ज्ञापन देना चाहती है, उसको जनता का ज्ञापन असंतोष का लेना चाहिये। आप खुश हो जायें। आप सरकारी कर्मचारियों से हमारे ऊपर डंडे चलवा दें, पकड़वा दें, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारियों का रवैया और दिल दिमाग इसी तरह से बढ़ता रहा तो आप की गर्दन और सर भी बचा नहीं रहेगा। आप के ऊपर डंडा चलायेंगे। आज मेरे ऊपर चलता है, कल आपके ऊपर चलेगा। माननीय विश्वनाथ कपूर आ रहे थे, विधान सभा में, उनको पकड़ करके बन्द कर दिया और डंडे चलाये। जितने आदमी जुलूस में नहीं होंगे, चार गुना पी0ए0 सी0 के लोग और पुलिस के लोग थे। डंडे लेकर खड़े हो गये। इस हाउस के आप सबसे बड़े अधिकारी हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस भय और आतंक के वातावरण में क्या इस असेम्बली और पार्लियामेंट को चलायेंगे? चूंकि इस असेम्बली का चुनाव होने वाला है लिहाजा अमेरिका में वाटरगेट हो गया। यहां वाइन गेट होगा। लाठी से, और जुल्म से विधायकों की जबान को बन्द करेंगे? आप चाहे सदन को स्थगित करें, मुख्य मंत्री को बुलायें। मुख्य मंत्री के दरवाजे पर जाना क्या पाप है?

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री को अगर आप रोकते हैं चारों तरफ से तो मुख्य मंत्री को कैसे हम बुला लेंगे?

श्री बंशीधर पांडेय---

आपने ठीक कहा। मुख्य मंत्री क चारों तरफ से घेरते तो कैसे बुला लेते मुख्य मंत्री को? अपनी मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन तो रोजाना लोग दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

ज्ञापन के सम्बन्ध में नहीं, समाचार पत्र में यह नहीं था। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में (व्यवधान) तब तक बैठे रहेंगे जब तक बात न मानें।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप पेपर पर मत जाइये। उन्होंने कह दिया कि अपनी मांगों को ले कर हम घेराव करेंगे मुख्य मंत्री का, इसका मतलब यह है कि उनके लिये प्रेस करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

घेराव का यह मतलब नहीं था।

श्री बंशीधर पांडेय---

हम इस सदन में मुख्य मंत्री का घेराव करें तो क्या यह मतलब नहीं है कि हम उनको प्रेस करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष---

यहां आ जाते तो घेराव नहीं होता।

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर मुख्य मंत्री जनता से नहीं मिलेंगे तो इस हाउस में कैसे आयेंगे और यहां आ कर क्या करेंगे?

श्री अध्यक्ष--

सत्य बात यह है कि कुछ लोग घेराव करने जा रहे थे । जो मुस्लिम मजलिस वाले थे उन्होंने नोटिस दिया था कि वह घेराव करेंगे मुख्य मंत्री का ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

घेराव और पिकेटिंग में फर्क है ।

श्री अध्यक्ष--

यह बात सत्य है जब घेराव मुख्य मंत्री का होने जा रहा था तो वह निकल नहीं सकते थे जब तक घेराव टूटता नहीं और हम उनको बुला कर लाते नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

आपने समाचार पत्रों के आधार पर कहा है और रोजाना आप कहते हैं कि पेपर के आधार पर आप बातों को नहीं मानेंगे । मैं तथ्य की बातें कह रहा हूं कि लोग उनको मिलने गये थे । मुख्य मंत्री का घेराव होता और कोई लाठी चार्ज होता तो बात समझ में आ सकती थी ।

श्री अध्यक्ष--

यानी मुख्य मंत्री जी पिट जाते, चोट लग जाती तब आप समझेंगे कि घेराव हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

तो क्या मुख्य मंत्री जी नहीं मिलेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

घेराव हटा लिया जाय ।

श्री अवधेश कुमार --

अध्यक्ष महोदय, मैं न घेराव करने जा रहा था और न उस सत्याग्रह में सम्मिलित था । पार्टी के आदेश पर जरूर ऐसा करूंगा । लेकिन जब मैं दारुलशफा से सड़क पर आ रहा था विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये लगभग साढ़े 10 बजे और मेरे साथ में सर्वश्री शिव कैलाश तथा पांडेय जी थे तो डी0 एम0 ने कहा कि आप लोग कहां जा रहे हैं, विधान सभा को जा रहे हैं ? हमने कहा, हां विधान सभा में जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि जल्दी हट जाइये नहीं तो लाठी चार्ज करवा दूंगा । आप सर्वाधिकार सुरक्षित आसन पर बैठे हैं । अगर विधायकों को जिलाधिकारी और जिलाधीश धौंस दें लाठी चार्ज कराने की तो आप ही बतलाइये क्या इसी तरह से प्रजातंत्र की रक्षा होगी अथवा उसका चिराग गुल होने वाला है ?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री आ गये हैं, वह जवाब दे देंगे ।

श्री अवधेश कुमार--

अगर जिलाधीश महोदय तीन विधायकों से यह कह सकते हैं कि वह लाठी चार्ज करा रहे हैं, जल्दी रास्ता साफ कर दो तो आप जरा इस पर उदारता के साथ विचार करें ।

श्री अध्यक्ष--

उदारता सब आप में आ गयी है । मेरे में नहीं है ।

श्री अवधेश कुमार--

मेरे में और उदारता आ गयी है और आपमें नहीं है तो आपका उस आसन पर बैठना बेकार है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)--

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला ऐसा है जिससे यह साबित होता है कि जम्हूरियत को जिब्हा करने का इन्तजाम हो रहा है ।

आप को याद होगा कि सन् 72 में यह ऐक्ट पास हुआ था तो उस वक्त भी इस पर एहतजाज हुआ था और फिरोजाबाद में कितनी ही जानें गई थीं । उसके बाद यह यूनिवर्सिटी बन्द कर दी गई थी । 7 अप्रैल को मैं वहां पहुंचा था । मैंने वहां पर देखा कि कोई वजह नहीं थी जिससे यूनिवर्सिटी बन्द कर दी जाती । इसके लिये फौरन ही आदेश हो गये । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी से बात करने का कौन सा तरीका है ? अगर हम उनसे मिलने जायं तो इस प्रकार हमारे साथ सलूक किया जाता है····

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक को लेकर जिस तरह से मुसलमानों में असंतोष व्याप्त है और वे इस कानून को बदलना चाहते हैं (व्यवधान) । मान्यवर, इस विषय पर यहां सदन में चर्चा भी हो चुकी है और फिरोजाबाद की घटना याद होगी ।

श्री अध्यक्ष---

आप पुराना मामला उठा रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह परिहार---

आज यहां पर एक ज्ञापन देने के लिये हमारे नेता लोग जा रहे थे। उनमें हमारी पार्टी के एक मंत्री भी थे जिन्हें कि पी0 ए0 सी0 के डंडे लगे हैं और लोगों को भी चोटें आई हैं। मान्यवर, संसोपा के लोग गिरफ्तार होने से नहीं डरते लेकिन हमारे दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को यह सरकार नजरबन्द और जेल में रखने के लिये कटिबद्ध दिखाई देती है । एक जेल में जाना पसन्द नहीं करते और दूसरे बीमार हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर सरकार से स्पष्टीकरण दिलावें ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

(श्री राम बिलास पांडेय से) मुख्य मंत्री जी अब तक नहीं थे, अब वे आ गये हैं । आपने माननीय सदस्यों के भाषण भी सुने हैं। तो आप संक्षेप में सारी बात बता दें।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, राजनारायण जी, कुछ बी0के0 डी0 के लोग तथा हमारे माननीय विश्वनाथ कपूर आज मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये जा रहे थे । उनका मसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबंधित था । आज देश में चारों तरफ भुखमरी की स्थिति व्याप्त है । उसी मामले को लेकर ये लोग मुख्य मंत्री के पास जा रहे थे। लेकिन वे मिलने नहीं पाये, बीच में ही पी0ए0सी0 ने उनके ऊपर डंडे बरसा दिये । बी0के0 डी0 के एक माननीय सीताराम जी को बड़ी बेरहमी के साथ घसीटा गया और राजनारायण जी को भी जख्मी किया गया । विश्वनाथ कपूर को पकड़कर न मालूम कहां ले गये ? वे यहां पर असेम्बली में आ रहे थे, रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया। जैसा कि एस0एस0 पी0 के एक माननीय विधायक ने अभी कहा कि वे, मैं और हमारे एक अन्य साथी अभी यहां पर असेम्बली में आ रहे थे

तो यहीं रास्ते में हमसे कहा गया कि जल्दी रास्ता साफ कर दो नहीं तो लाठी चार्ज करवा दी जायगी । मान्यवर, यह बड़ी दुखद घटना है । हम कौन सा जरिया निकालें कि मुख्य मंत्री जी से अपनी बात कह सकें ? यदि यही स्थिति रही तो हमारी रक्षा कहां हो सकती है ? अब मुख्य मंत्री जी आ गये हैं वे स्थिति स्पष्ट कर दें।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इस प्रदेश में और देश में मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री की खाल इतनी मोटी हो गयी हो कि उनकी जनता त्राहि-त्राहि कर रही हो महंगाई की वजह से, परेशानी की वजह से और तानाशाही की वजह से और उनकी खाल पर कोई असर न पड़ रहा हो तो मान्यवर, क्या तरीका है ? जनतंत्र में यही एक रास्ता रह जाता है कि जो सही माने में जनता के दुख दर्द से उत्पीड़ित होने वाले लोग हैं, जिन्हें जनता का दुख दर्द बरदाश्त नहीं होता है, वे लोग जायं और मुख्य मंत्री को ज्ञापन दें, मुख्य मंत्री को जनता की तकलीफों को बतलावें और मुख्य मंत्री का घेराव करें । श्री राजनारायण जी के हाथ में कोई पिस्तौल नहीं थी, न बम था और न उनके हाथ में पत्थर ही था, ज्यादा से ज्यादा एक कागज का टुकड़ा होगा ज्ञापन का । यह कौन सा गुनाह और पाप है अगर कोई नेता जनता की तकलीफ को बतलाने के लिये मुख्य मंत्री के पास जायं इस देश के अन्दर और जनतंत्र के अन्दर । मान लिया जाय कि वे मुख्य मंत्री के घेराव के इरादे से ही वहां गये तो राजनारायण जी ने मुख्य मंत्री को कोई पत्थर तो नहीं मारा, कोई थप्पड़ तो नहीं मारा ? मुख्य मंत्री से मिलने के लिये गये थे तो मान्यवर, ऐसी हालत में कलेक्टर विधायकों को धमकी दे कि लाठी चलायेंगे और श्री राजनारायण जी जैसे शांतिप्रिय व्यक्ति को गिरफ्तार करे (हंसी), मैं कहता हूं कि आप बतलायें कि अंग्रजों के जमाने को छोड़ कर राजनारायण जी ने किसको थप्पड़ मारा, आज तक किसको मारा, ऐसी स्थिति में राजनारायण जी शांतिप्रिय नहीं तो और क्या हैं ? मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी राजनारायण जी को तत्काल रिहा करने का इस सदन में ऐलान करें और उनको रिहा किया जाय ।

श्री रामबिलास पांडेय—

राजनारायण जी को रिहा किया जाय और सभी को रिहा किया जाय और इसकी न्यायिक जांच करायी जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अगर यह नहीं करते तो अभी तक तो मुख्य मंत्री जी का घेराव बाहर करने की बात थी, इस सदन के अन्दर मुख्य मंत्री जी का घेराव होगा और इस सदन का चलना दुश्वार हो जायेगा । यह जनतंत्र के ऊपर हमला है और यह सरकार जनतंत्र को खतम करने की प्रवृत्ति पर चल रही है, यह देश और प्रदेश के साथ विश्वासघात है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ऐलान करें राज नारायण जी को रिहा करने का और जुडिशियल इनक्वायरी बैठाने का ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसका पहले से ही ऐलान था कि मुख्य मंत्री का घेराव होगा और आज सबेरे मुझसे कहा गया कि बी0 के0 डी0 के लोग, सिंडिकेट के लोग और मुस्लिम मजलिस के लोग घेराव करेंगे । इसका आज बड़ा हल्ला था लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा तो केवल कुछ मुट्ठी भर लोग बमुश्किल 50 आदमी होंगे और उसी के ऊपर हमारी सरकार इतना घबड़ा गयी कि पुलिस भी वहां आ गयी, डंडे भी चल गये और उनको शहीद बना दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बलवीर सिंह—

सी0पी0 आई0 की सलाह नहीं ली मुख्य मंत्री जी ने ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कहा गया कि मुस्लिम जनता में असंतोष है, माइनरिटी में असंतोष है और असंतोष का जो नमूना मैंने देखा वह यह कि बमुश्किल 50 आदमी वहां थे और सरकार इसी पर इतना घबड़ा गयी कि तमाम लखनऊ की पुलिस को वहां जमा कर लिया। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनको छोड़ें, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको सुनने वाला कोई नहीं है, जनता आपके साथ है, इनको रिहा कीजिये, क्यों इनको बेकार में शहीद बना रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने तमाम बातें सुन लीं। आज सवाल कोई आया नहीं, हल्ला हो रहा है और यही प्रश्न चल रहा है। इसलिये आप इसकी सूचना दे दें कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। इसकी सूचना आपको तो होगी ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं है कि कौन लोग गिरफ्तार किये गये। यहां माननीय सदस्यों से सुना कि माननीय राजनारायण सिंह जी तथा अन्य लोग गिरफ्तार किये गये हैं। मुमकिन है कि यह लोग गिरफ्तार किये गये होंगे और उसकी रिपोर्ट आ जायेगी। जहां तक आज की घटना का संबंध है, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई सूचना नहीं थी और न कोई पत्र भेजा गया था कि हमारे भाई राजनारायण जी या संसोपा के या बी0के0डी0 के या जनसंघ के लोग या संगठन कांग्रेस के लोग कोई ज्ञापन देने के लिये मेरे पास आने वाले हैं।

श्री रामगोपाल सेठ—

मान्यवर, जनसंघ के लोग इसमें नहीं थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर कोई सूचना मेरे पास आई होती तो मैं जरूर बात कर लेता। अभी परसों की बात है, जनसंघ का बहुत बड़ा जलूस निकला था और उन्होंने जलूस निकालने की आज्ञा मांगी थी। जलूस निकला और यह उन्होंने कहलाया था मुझसे कि जलूस मेरे घर पर जायेगा। यदि मैं घर पर रहूंगा तो जलूस घर पर जायेगा और यदि दफ्तर में रहूंगा दफ्तर में जायेगा और 10/12 प्रतिनिधि आयेंगे और आपको ज्ञापन देंगे। मुझ से वे दफ्तर में मिले और ज्ञापन दिया। महंगाई तथा चीजें नहीं मिल रही हैं उसके बारे में उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और अपनी बात कही और 45 मिनट तक बातचीत हुई। अगर ऐसी बात होती कि लोग ज्ञापन देने के लिये आ रहे हैं और मिलना चाहते हैं तो मैं उत्सुकता के साथ मिल लेता, क्योंकि सबको अधिकार है व्यवस्था के संबंध में कोई बात कहना चाहे तो कह सकता है और मेरा कर्तव्य हो जाता है कि उनकी बात सुनूं और उनको अधिकार होता है कि वे अपनी बात कहें।

मान्यवर, एक सूचना मेरे पास आई थी कि 4 मई को डाक्टर फरीदी का एक पत्र मेरे पास आया था।

श्री अध्यक्ष—

कौन सी तारीख को आया था ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—

शायद 4 तारीख को मिला होगा या 5 को मिला होगा। उसमें कुछ मांगें पेश की थीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1. We therefore demand that the Aligarh Muslim University should immediately and unconditionally be opened.

मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिना शर्त खोल दी जाय।

2. The Aligarh Muslim University Students Union should be restored.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन को रेस्टोर किया जाय।

3. No student or member of the staff be penalised for directly or indirectly opposing the Aligarh Muslim University Act.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या स्टाफ के किसी मेम्बर को जिसने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट का विरोध किया हो उसको दंडित न किया जाय।

4. Professor Nurul Hasan should be removed from the Central Ministry.

प्रोफेसर नूरुल हसन को केन्द्रीय मंत्रि-मंडल से पृथक् किया जाय।

5. The Aligarh Muslim University Act, 1972, should be withdrawn and 1951 Act be enforced for the interim period and pass a new Act as soon as possible keeping in view of the resolution passed in the Convention held at Delhi on 10th, 11th March, 1973 under auspices of the Aligarh Muslim University Action Committee.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1972 को विदड्रा किया जाय और 1951 के ऐक्ट को इंटेरिम पीरियड के लिये एनफोर्स किया जाय और जितना शीघ्र संभव हो सके, एक नया ऐक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्शन कमेटी की प्रोसीडिंग्स को जो 10,11 मार्च को हुई थी, ध्यान में रखते हुए, पास किया जाय।

इस के साथ ही उन क पत्र का आपरेटिव पार्ट यह है कि वह लिखते हैं कि—

"We herewith give you notice that to achieve the above objectives we shall launch a peaceful Satyagrah, from 10 a.m. on May 10, 1973."

हम एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह 10 मई को 10 बजे से अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये शुरू करेंगे। आगे है—

"Batches of volunteers will march in procession from Gandhi Park, (Opposite G. P. O.) to your residence and peacefully prevent you from leaving your house, and performing your duties as the Chief Minister as we consider them to be against the best interest of the country."

अर्थात् उन क सत्याग्रहियों के जत्थे जी0पी0ओ0 वाले गांधी पार्क से जुलस बनाकर चलेंगे और वह चीफ मिनिस्टर की रेजीडेंस पर आकर उन्हें घर से बाहर आने में रोकेंगे और उनको चीफ मिनिस्टर का कार्य करने से रोकगे क्योंकि उनका काम करना देश के हित के विरुद्ध है।

यह उनका पत्र आया था जिसे हमने कलक्टर के यहां भेज दिया था और उसी सिलसिले में आज 10 बजे इन का यह सत्याग्रह होने वाला था, 144 दफा लगी हुई थी, मुमकिन है यहां के अधिकारियों ने उस पर कोई कार्यवाही की हो। मैं आज 10.10 पर या 10.15 पर घर से निकला और उन का नोटिस यह था कि मेरा वह 10 बजे घिराव करेंगे और चीफ मिनिस्टर को अपनी ड्यूटी नहीं करने देंगे, घर तक घिराव की बात होती तो हो तो लेकिन चीफ मिनिस्टर को यहां अपनी ड्यूटी पर भी न आने देना देश और प्रदेश के हित के विरुद्ध है। मैंने उस पत्र को स्थानीय अधिकारियों के पास भेजा था और उस पर ही कुछ कार्यवाही आज हुई मालूम होती है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मैं साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि बड़ी-बड़ी बातें लोकतंत्र की की जाती हैं। लोकतंत्र कैसे खतरे में है, अगर ऐसी मांग की जाय जिन से उत्तर प्रदेश के शासन का कोई ताल्लुक न हो ? प्रोफेसर नूरुलहसन साहब को हम डिसमिस कर नहीं सकते, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, उसे हम विद्ड्रा कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी की जो वहां की यूनियन है उसे भी वहां के वाइस चांसलर ने भंग किया है उसको बहाल करना भी हमारे हाथ में नहीं है। इस तरह की मांगें हम से की जायं और साथ ही यह भी कहा जाय कि अगर हम उन को तत्काल मंजूर नहीं करते तो हम चीफ मिनिस्टर को काम नहीं करने देंगे और घर से बाहर नहीं निकलने देंगे और फिर ऐसी मांगों को लेकर यहां की लोकतंत्रात्मक कहलाने वाली पार्टियां सहयोग प्रदान करें तो फिर भगवान ही यहां के लोकतंत्र को बचा सकते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, हम और कुछ अन्य विधायक जब दारुलशफा से निकलकर असेम्बली में आ रहे थे तो जिलाधीश ने कहा कि जल्दी से हट जाओ वर्ना हम लाठीचार्ज करेंगे, उस समय आधा दर्जन विधायक उधर जा रहे थे, उन से ऐसी बात कही जाय, यह कहां का लोकतंत्र है ? उन के ऊपर एक हौवा सवार हो गया कि सारे दारुलशफा के लोग मुख्य मंत्री जी का घिराव करने जा रहे हैं और इसी वहम में उन्होंने सब के ऊपर वार करने शुरू कर दिये।

श्री अध्यक्ष—

इस तरह का नोटिस जो फरीदी साहब ने भेजा, उसको तो आप समझते हैं कि वह गैरवाजिब दिया।

श्री राम बिलास पांडेय—

यह हम नहीं मानते, मंत्रियों का बहुत बार घिराव हुआ है, लोग उनके पास गये हैं, अपनी मांगें लोगों ने उनके सामने रखी हैं और आश्वासन भी उनको दिये गये हैं ....

श्री अध्यक्ष—

वह उन की इस मांग को पूरा नहीं कर सकते।

श्री रामबिलास पांडेय—

जितना कर सकते थे वह करते।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी का एक अहसान है सदन पर कि उन्होंने डा० फरीदी के पत्र के कन्टेंन्ट्स से सदन को अवगत कराया। इस नोटिस में सीधे तरीके से लिखा है कि ए० एम० यू० ऐक्ट, 72 वापस लिया जाय, वहां की यूनियन को बहाल किया जाय और स्टाफ व विद्यार्थियों के द्वारा ए० एम० यू० ऐक्ट की मुखालफत किये जाने पर उन को पेनेलाइज न किया जाय। और डाक्टर नूरुल हसन को एजूकेशन मिनिस्टर के पद से दिल्ली की काबीना से हटाया जाय, 10 मई से मुख्य मंत्री जी के यहां सत्याग्रह किया जायगा। कहीं नहीं लिखा है कि सत्याग्रह किसी तरह से हिंसक होगा। इसका साफ-साफ मतलब यही रहा है और उससे भी ज्यादा वह शांत प्रिय होने वाला था। मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र में बात चीत चलती है बहस मुबाहसों से चलता है। तरीके से चलता है। अगर उसमें कोई उपयोगी हथियार हो सकता है अपनी मुखालिफत को प्रदर्शित करने में, अन्याय के निराकरण के लिये तो सत्याग्रह के अलावा और कोई चीज नहीं है। यह कार्य जनतंत्र से जुड़ा हुआ है। और फिर आप समझे थे कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्याग्रह के साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि "फिर हम आपको मुख्य मंत्री का काम नहीं करने देंगे । हम आपके यहां पिकेटिंग करेंगे", घेराव की बात इसमें कहीं नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कहा तो है कि हम आपको मुख्य मंत्री का काम नहीं करने देंगे । अगर आपको कहा जाय कि आपको सदस्य का काम नहीं करने देंगें तो उसका क्या अर्थ है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय मुख्य मंत्री की, इस कानून के पास होने से पहले जो भूमिका रही है, उसके नाते अगर डाक्टर फरीदी का और मुस्लिम मजलिस का यह खयाल हो जाता है तो बिल्कुल वाजिब होता है । 71 के जब चुनाव चल रहे थे तो इन लोगों से वायदा किया था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बरसरे इकतदार रखेंगे और जिसके सहारे इन्होंने वोट लिया था। तो किस तरह से इन्होंने वायदा फरामोशी की और पुराने विधान को भंग किया ? इसमें हमारे मुख्य मंत्री जी भी शामिल थे, यह नहीं कि वे शामिल न हों । गांधी जी ने जो सत्याग्रह या पिकेटिंग शुरू से चलाया था या कोई पिकेटिंग करते थे, वह भी किसी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ नहीं होता था बल्कि वह दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार के खिलाफ होता था । और आज तो स्थिति यह है कि दिल्ली और यहां की सरकार एक ही दल की है । अगर उनका यहां घेराव किया जाता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य मंत्री मांग पूरी करेंगे बल्कि जो दबाव पड़ेगा उससे दिल्ली की सरकार भी विचलित होगी, जागृत होगी और इस पर विचार करेगी । तो इसमें कहीं भी विरोधाभास है नहीं ।

हम लोग जिलाधीश के दफ्तर में सत्याग्रह या अदालतों में जाकर सत्याग्रह करते हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ या उस अदालत के खिलाफ नहीं करते हैं बल्कि अन्याय के विरुद्ध अपना विरोध सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं । दिल्ली की सरकार की और उनके मुख्य मंत्री की पूरी जिम्मेदारी इससे हो जाती है कि इनके राज्य में इस बिल को लाया गया । चुनाव जीतने के पहले उनसे एक वायदा किया गया और जब वह पूरा नहीं किया तो यह एजिटेशन की नौबत आयी और जब यह हुआ तो अब हमारे मुख्य मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं । इसमें इनका भरपूर हाथ रहा है और इससे सहमत रहे हैं । अगर आज के दिन माननीय मुख्य मंत्री का घेराव हो जाता तो यह नहीं था कि आसमान जमीन पर उतर जाता । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे शांतिपूर्ण सत्याग्रह और क्या हो सकता है ।

हम तसलीम करते हैं कि अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो उस कानून तोड़ने में जो सजा हो, उनको मिलनी चाहिये । यह मान कर कि सत्याग्रह है तो जो कानून की चीजें हैं, उनके मुताबिक सब बातें होनी चाहिये । लेकिन यहां क्या स्थिति है ? हिंसा का प्रयोग होता है। आखिर, आपके डिप्टी कमिश्नर और सरकार को यह कैसे अधिकार मिला है कि शांतिपूर्ण-ढंग से प्रदर्शन का जवाब लाठी-चार्ज से किया जाय । उसमें राजनारायण जी को गिराकर घसीटा क्यों गया ? यहां पर जो माननीय विधायक आते हैं, उन पर लाठीचार्ज की धमकी क्यों दी जाती है ? कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं । अहिंसा का जवाब हिंसा से देने का हक कैसे है ?

श्री अध्यक्ष—

जो घटना हुई है उसके बारे में सूचना लिखकर दे दें तो जांच करवा देंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

सरकार हमेशा निद्रा में रहती है । मुख्य मंत्री जी की नांक के नीचे सारी चीजें हो रहीं हैं । मुख्य मंत्री अपने निवास-स्थान में थे । इन्होंने अपने अधिकारियों को कितना निरंकुश बना रखा है । इतनी बड़ी घटना·····

श्री अध्यक्ष---

अब आप ही अकेले बोलते रहेंगे कि·····

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं·····

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जो घटना हुई, उसमें अहिंसा का जवाब हिंसा से देने की कोशिश की । उसके लिये सरकार को कोई पछतावा नहीं है । मैं मांग करता हूं, आपके माध्यम से, सरकार से और उसके मुख्य मंत्री से कि यह जो घटना हुई है उसके लिये खेद प्रकट करे । जिन लोगों को नाजायज तरीके से मारा गया है और गिरफ्तार किया गया है, उनमें केवल साधारण लोग ही नहीं थे, बल्कि उनमें राज नारायण जी शामिल हैं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी के एम0ए0 हलीम शामिल हैं, विश्वनाथ कपूर शामिल हैं, सीताराम एडवोकेट शामिल हैं डा0 फरीदी शामिल हैं और बहुत से चुने हुए जन सेवक शामिल हैं । उनके साथ अत्याचार किया गया है । वे लोग मुख्य मंत्री जी से अगर मिलना चाहते थे तो कौन सी गोली लगने वाली थी या बम फटने वाला था मुख्य मंत्री जी पर·····

श्री अध्यक्ष---

मिलने की नोटिस नहीं, यह तो घिराव करने की नोटिस है·····

श्री अनन्तराम जायसवाल---

शांतिपूर्ण ढंग से मुख्य मंत्री को रोकने के लिये है । मुख्य मंत्री जी अगर जाना चाहते, तो उनके ऊपर चढ़कर जा सकते थे·····

श्री अध्यक्ष---

उसमें है कि मुख्य मंत्री को काम न करने देंगे । उसमें पिकेटिंग का है·····

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, ये तो अंग्रेजों को भी मात कर दिया । अंग्रेजों ने पिकेटिंग को मान्यता दी थी कि सत्याग्रह जायज होता है । इन्होंने इस मामले में कानून कायदे अलग रख दिये और अहिंसा का जवाब हिंसा से देने की कोशिश की ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 10 मई, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बहेड़ी, बरेली में गन्ने की फसल को 'पायरिल्ला' से क्षति तथा उसका निदान

**1---श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)---

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि जनपद, बरेली के तहसील बहेड़ी में जहां बहुत ज्यादा मात्रा में गन्ना पैदा होता है और इस समय गन्ना बो दिया गया है उसमें पायरिल्ला का कीड़ा लग रहा है जिससे गन्ने की फसल चौपट हो रही है? यदि हां, तो फसलों को बीमारी से बचाने के लिये कोई ठोस उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो ये उपाय कब किये जायेंगे ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा गन्ना विकास मंत्री को बुलाये जाने पर ।)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)---

माह अप्रैल के अन्त तक 800 एकड़ गन्ने का क्षेत्र पायरिला से प्रभावित हुआ जिसमें से लगभग 300 एकड़ में स्थानीय विधि द्वारा कीट नाशकों का छिड़काव किया जा चुका है तथा अवशेष में किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, अभी तक तो मैं बोला ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

आप मुझे बोलने दीजिये।

(इस समय सदन में शोर होने लगा और मेजों की थपथपाहट होने लगी।)

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 50 मिनट पर सदन स्थगित हुआ । 12 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने सूचना दी कि श्री अध्यक्ष ने सदन को और 15 मिनट के लिये स्थगित कर दिया है । 12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचना दी कि सदन श्री अध्यक्ष द्वारा 1 बजे तक के लिये स्थगित कर दिया गया है । 1 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दिनांक 13 अप्रैल, 73 को मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के एक छात्र की पिटाई से उत्पन्न स्थिति

*1---श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक 12 अप्रैल, 1973 को सायंकाल मोतीलाल नेहरु इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के एक छात्र को कटरे के चौराहे पर कुछ लोगों ने मारा-पीटा, नंगा कर एक भौंह आधा सिर घोट कर भगा दिया ? यदि हां, तो क्या इस घटना के कारण उक्त कालेज की परीक्षायें स्थगित कर दी गई हैं तथा कालेज के छात्रों तथा अध्यापकों में बड़ा असन्तोष है ? पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ? पूरी घटना क्या है ?

प्राविधिक शिक्षा एवं लघु उद्योग मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 अप्रैल, 1973 को (न कि 12 अप्रैल, 1973) सायंकाल साढ़े सात बजे मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के एक लड़के को कटरे के चौराहे पर कुछ लोगों ने मारा पीटा, उसे नंगा कर उसका एक भौंह तथा आधा सिर घोट कर उसे भगा दिया। उक्त घटना के फलस्वरूप कालेज के लड़कों में व्याप्त क्रोध के कारण केवल 17 व 19 अप्रैल, 1973 को परीक्षायें स्थगित कर दी गयीं थीं। अब परीक्षायें पूर्ववत् चल रही हैं तथा स्थिति सामान्य है। पुलिस इस मामले में आवश्यक जांच कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पूरी घटना मालूम हो सकेगी ।

श्री जायसवाल, स्वायल कन्जर्वेशन अधिकारी, कालपी केन्द्र, उरई की हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही

*श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि गत 2 अप्रैल, 1973 को श्री जायसवाल, स्वायल कन्जर्वेशन अधिकारी, पी0 डब्लू0 डी0, कालपी केन्द्र, उरई को कुछ लोगों ने बन्दूक मार कर हत्या कर दी ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 2-4-73 को 3 बजकर 30 मिनट पर अपराह्न में भूमि संरक्षण अधिकारी कालपी जालौन की सरकारी जीप के ड्राइवर ने थाना कालपी पर इस आशय की जबानी सूचना दी कि उसी दिन ढ़ाई बजे सरकारी जीप में श्री मोतीलाल जायसवाल भूमि संरक्षण अधिकारी, कालपी दो अन्य विभागीय कर्मचारियों सहित किसानों को अनुदान का रुपया बांट कर ग्राम मदरा लालपुर से लौट रहे थे तो रास्ते में एक नामजद सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक व एक अज्ञात व्यक्ति जो लाठियां लिये हुये थे ने सामने आकर जीप को रोक लिया और श्री जायसवाल को जीप से बाहर खींचकर लाठियों से मारा पीटा वादी व अन्य साथियों द्वारा बचाने का प्रयास किये जाने पर अपराधियों ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। अन्त में शोर सुनकर कुछ अन्य लोगों के आने पर अभियुक्त भाग गये। श्री जायसवाल जो गिर पड़े थे, को वादी जीप से कालपी अस्पताल ले गया। वहां डाक्टर से विदित हुआ कि श्री जायसवाल की मृत्यु हो चुकी है।

उक्त सूचना के आधार पर उसी दिन थाना कालपी पर एक मुकदमा धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज हुआ व विवेचना प्रारम्भ की गयी। नामजद अभियुक्त उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे अभियुक्त ने बाद में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

फूलपुर, इलाहाबाद में टेस्ट वर्क मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति

*3—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31 मार्च, 1973 को फूलपुर तहसील जनपद इलाहाबाद पर टेस्ट वर्क के 8 हजार मजदूर निर्धारित दर से मजदूरी मांगने गये थे तो पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया जिससे काफी मजदूर घायल हो गये हैं और कुछ को पकड़ कर जेल भी भेजा गया है क्योंकि इसके विरोध में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा मजदूरों का प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिला है और इसकी न्यायिक जांच किये जाने की मांग की ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। दिनांक 31-3-73 को फूलपुर तहसील (इलाहाबाद) पर टेस्ट वर्क के मजदूरों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। अतः लाठी चार्ज के कारण किसी मजदूर के घायल होने का प्रश्न नहीं उठता। 16 उपद्रवी मजदूरों की गिरफ्तारी की गयी जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इनके विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी विवेचना हो रही है।

जिला अधिकारी से कुछ लोग कतिपय मजदूरों के साथ मिले थे और उन्होंने किसी वरिष्ठ अधिकारी से घटना की जांच कराने की मांग की थी। इस मांग के अनुसार वृताधिकारी को जांच सुपुर्द कर दी गयी है।

खिरनी गेट, अलीगढ़ में बल्ब बनाने के अवैध कारखाने में अग्निकाण्ड से क्षति एवं क्षतिपूर्ति

*4—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 फरवरी, 1973 को खिरनी गेट, अलीगढ़ में सरकार की बिना आज्ञा प्राप्त किये हुये लगाये गये एक बल्ब के कारखानें में नाबालिग बच्चे काम कर रहे थे अचानक ही गैस का सिलेन्डर फट जाने के फलस्वरूप 5–6 बच्चे जल कर मर गये और कई घायल हो गये ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की और मरने वाले बच्चे कौन-कौन और किसके थे ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां, 22 मार्च, 1973 को मुहल्ला सराय खिरनी, अलीगढ़ के रिहायशी मकान में चलाये जा रहे मिनियेचर बल्व की टोपियां बनाने के एक कारखानें में जिसे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था, आग लग जाने के कारण 11 कर्मकार दुर्घटना ग्रस्त हुये जिनमें दो वयस्क तथा 9 अवयस्क थे। इनमें से एक वयस्क तथा 4 अवयस्क कर्मकारों की मृत्यु हो गयी। मरने वाले बच्चों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1—श्री लईक आत्मज श्री हकीमल्ला, आयु लगभग 10 वर्ष, मृत्यु 22–3–73 को हुई।

2—श्री राजकुमार आत्मज श्री सीताराम, आयु लगभग 11 वर्ष, मृत्यु 23–3–73 को हुई।

3—श्री इखलाक, आत्मज श्री इनामुल्ला, आयु लगभग 13 वर्ष, मृत्यु 24–3–73 को हुई।

4—श्री शमशेर आत्मज श्री अलानूर, आयु लगभग 18 वर्ष, मृत्यु 24–3–73 को हुई।

दुर्घटना (गैस के सिलेन्डर फटने के कारण नहीं बल्कि) पेट्रौल गैस प्लान्ट के एक पाइप के टूट जाने से हुई। दुर्घटना की जांच उप मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा 27–3–73 को की गयी तथा उक्त कारखाने के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6, सपठित नियम 3 व 6; धारा 61, सपठित नियम 77, धारा 87, सपठित नियम 109, शेड्यूल 7; धारा 38, सपठित नियम 62, धारा 67; धारा 45, सपठित नियम 66, धारा 62 सपठित नियम 78 तथा धारा 83, सपठित, नियम 102 तथा 103 के उल्लंघन किये जाने हेतु अभियोग चलाया जा रहा है। घायलों व मृतकों के वारिसों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 3/10 के अन्तर्गत प्रतिकर दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रधान मंत्री के मुजफ्फरनगर आगमन के वक्त जनसंघ कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 22 मार्च, 1973 को प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मुजफ्फरनगर आगमन पर जनसंघ के प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मारा पीटा और 6 नेताओं को जेल में बन्द कर दिया ? क्या यह भी सही है कि सैकड़ों जनसंघ कार्यकर्ताओं को मुजफ्फरनगर शहर में घुसने से पूर्व ही रोक कर घंटों बन्द रखा ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुजफ्फरनगर में प्रधान मन्त्री का आगमन दिनांक 22 मार्च, 1973 को नहीं बल्कि 24 मार्च, 1973 को हुआ था। उक्त अवसर पर जनसंघ के किसी भी कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा न तो मारा-पीटा ही गया और न तो किसी जनसंघ के नेता को जेल में बन्द ही किया गया। यह भी सही नहीं है कि जनसंघ के कार्यकर्ताओं को मुजफ्फरनगर शहर में घुसने से पूर्व ही रोक कर घंटों बन्द रखा गया। अतः मामले में किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम हरपुर, मऊ, आजमगढ़ के एक हरिजन की हत्या के संबंध में कार्यवाही

*6—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मऊ थाना क्षेत्र के हरपुर ग्राम में अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह में एक हरिजन युवक को सोते समय गोली मार कर हत्या कर दी गई? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 4 अप्रैल, 1973 को श्री विक्रम (हरिजन) निवासी ग्राम हरपुर, आजमगढ़ ने थाना मऊ पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि दिनांक 3–4 अप्रैल, 1973 की रात में उसके ही गांव के कैलाश सिंह ने उसके लड़के शोभा पर पिस्तौल से वार किया और कैलाश सिंह के साथी ने वादी को लाठी से मारा। वादी के पुत्र शोभा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना उसी दिन प्रारम्भ की गई। दोनों अभियुक्तों ने 5 अप्रैल, 1973 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। विवेचना के उपरान्त मुकदमे में आरोप-पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा दयालबाग कालेज, आगरा की परीक्षा रोकने का कारण तथा उससे उत्पन्न स्थिति

*7—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा,फतेहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने दयालबाग इंजीनियरिंग कालेज, आगरा की इंजीनियरिंग परीक्षा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है? अगर हां, तो यह परीक्षा किन कारणों से रोकी गई है? क्या यह भी सही है कि दयालबाग कालिज, आगरा में इंजीनियरिंग परीक्षा को अनिश्चित काल के लिये रोकने के विरुद्ध छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी है? अगर हां, तो कितने छात्र भूख हड़ताल पर है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। कालेज के नौ छात्रों को न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति कम होने के कारण, परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया था जिसके कारण छात्रों ने आन्दोलन आरम्भ कर दिया और कुछ छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी। ऐसी स्थिति में वाइस चान्सलर द्वारा इंजीनियरिंग परीक्षायें स्थगित कर दी गयी ह। यह सही नहीं है कि परीक्षायें स्थगित किये जाने के विरोध में छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी थी। इस समय कोई छात्र भूख हड़ताल पर नहीं है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जान का प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

थानाध्यक्ष, औरास जिला उन्नाव पर श्री विश्वनाथ दुबे, ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा, थाना आसीवन, जिला उन्नाव द्वारा कथित बलात्कार का आरोप

*1--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 4 मार्च, 1973 को प्रातः 4 बजे जिला उन्नाव के अन्तर्गत थाना औरास के थानाध्यक्ष व उनके साथ कुछ सिपाहियों ने श्री विश्वनाथ दुबे, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा, थाना आसीवन, जिला उन्नाव के मकान में जबरदस्ती घुसकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयन्ती देवी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया तथा नगदी धन व जेवर लेकर रवाना हो गये जिसकी सूचना गांव वालों ने एस० पी० उन्नाव को दी है ? इस काण्ड से गांव में काफी रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती जयन्ती देवी पत्नी श्री विश्वनाथ दूबे निवासी ग्राम मोहम्मदपुर, बसोखा, थाना आसीवन, जिला उन्नाव का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक उन्नाव को 8 मार्च, 1973 को प्राप्त हुआ था जिसमें थानाध्यक्ष औरास के विरुद्ध प्रार्थिनी के पति के अदम मौजूदगी में कुछ अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ उनके घर में घुसकर तलाशी लेने सन्दूक का ताला तोड़ने व उसमें से कुछ रुपया उठा ले जाने एवं अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गई थी। उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। गांव में स्थिति सामान्य है।

प्रदेश के पत्रकारों की प्रतीक हड़ताल पर कार्यवाही

*2--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 20 मार्च, 1973 को उत्तर प्रदेश के समस्त पत्रकारों की एक प्रतीक हड़ताल हुई थी तथा उन्होंने अपनी मांगों के बारे में एक ज्ञापन राज्यपाल को दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या-क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो सरकार कब तक उन पर विचार करके कार्यवाही करेगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

20 मार्च, 1973 को लखनऊ को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में पत्रकारों की तथा-कथित प्रतीक हड़ताल नहीं हुई। उसी दिन श्री आबिद सुहेल, प्रेसीडेंट लखनऊ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ऐंड कन्वीनर ऐक्शन कमेटी आफ लखनऊ न्यूज पेपर इम्प्लाईज ने भारत सरकार को एक ज्ञापन, राज्यपाल के माध्यम से दिया था। उनकी मुख्य मांगें तृतीय वेज बोर्ड की स्थापना, अन्तरिम सहायता, उचित महंगाई भत्ता तथा प्रेस के स्वामित्व का विस्तार, से सम्बन्धित थी। राज्य सरकार केन्द्र सरकार को क्या अनुशंसा करे, यह विचाराधीन है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निलम्बित अध्यापकों का मामला

*3—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितने ऐसे प्राध्यापक हैं जो 1 वर्ष से निलम्बित हैं तथा उनका निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में विचाराधीन है तथा उनमें कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको निलम्बन भत्ता नियमानुसार नहीं मिल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीमान्त जिले के विद्यालयों में कार्यरत जे० टी० सी० अध्यापकों के वेतन-क्रम में कमी का आधार

*4— श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीमान्त जिले (पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर-काशी) के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत जे0 टी0 सी0 अध्यापकों का किस राजाज्ञा संख्या के अनुसार माह अक्तूबर, 1969 से वेतनक्रम में कमी की गई है और किस आधार पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजाज्ञा संख्या ख-1/532-15, दिनांक 30 नवम्बर, 1968 द्वारा पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यता के आधार पर एवं समकक्ष अध्यापकों के वेतनमान में एकरूपता बनाये रखने के लिये 80 - 125 रु0 का नया वेतनमान लागू किया गया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर की कार्यवाही

*5—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध देवरिया के दो विधायकों ने दिनांक 22 मार्च, 1973 को इस आशय का शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री एवं निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को दिया है कि बेसिक शिक्षा विधेयक 1972 लागू होने के बाद जूनियर हाई स्कूलों की मान्यतायें घूस लेकर दी गई हैं तथा उसकी प्रतिलिपि शिक्षा उप-निदेशक, गोरखपुर, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ए0 जी0 आफिस, इलाहाबाद तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को नहीं भेजी गईं ? क्या यह सही है कि दिनांक 15 माच, 1973 को शिक्षा उप निदेशक, गोरखपुर ने जिला बिद्यालय निरीक्षक, देवरिया के कार्यालय में छापा मारकर समस्त कागजातों को जब्त कर लिया है ? यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, ऐसा एक शिकायती-पत्र शिक्षा निदेशक (बेसिक) को प्राप्त हुआ है।

उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने 13 मार्च, 1973 को जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के कार्यालय के कुछ अभिलेख अपन पास सुरक्षित कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है।

श्रीमती अतिया खातून, अध्यापिका, कन्या बेसिक पाठशाला, राजेन्द्रनगर गोंडा की सेवा समाप्ति

*6—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कन्या बेसिक पाठशाला, राजेन्द्रनगर, गोंडा में श्रीमती अतिया खातून नामक अध्यापिका जो लगभग 7 वर्षों से कार्य कर रही थीं और माह अगस्त, 1972 से मार्च, 1973 तक की स्वीकृत अवकाश पर थीं, उनकी सेवायें दिसम्बर, 1972 में बिना किसी पूर्व नोटिस के जिला बेसिक शिक्षा अधीक्षक द्वारा समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री कृष्ण मुरारी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, तालगांव परसेंडी, सीतापुर द्वारा दो पदों से वेतन लेने का मामला

*7—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण मुरारी, सहायक अध्यापक के पद पर जूनियर हाई स्कूल तालगांव, ब्लाक परसेंडी, सीतापुर में नियुक्त हुआ जब कि इससे पूर्व से 27 जून, 1972 तक बापू बालक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, सीतापुर में कार्यरत थे तथा दोनों जगहों से वेतन प्राप्त किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग, नगरपालिका, सीतापुर में अवैधानिक नियुक्तियों का पुनरीक्षण

*8—श्री रामलाल राही —

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर के शिक्षा विभाग में जनवरी, 1973 में सहायक उपस्थित अधिकारी की नियुक्ति बगैर साक्षात्कार के कर ली गई है तथा इसी प्रकार से कई अन्य नियुक्तियां अवैधानिक तरीके से कर दी गई हैं ? यदि हां, तो अवैधानिक नियुक्तियां करने के क्या कारण हैं ? तथा क्या मन्त्री नियमानुसार साक्षात्कार के द्वारा अथवा वरीयता के आधार पर चयन करने के आदेश करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ की अध्यापिकाओं के वेतन से अनियमित कटौती

*9—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन में नारी समिति का चन्दा प्रति वर्ष 12 रु0 प्रत्येक अध्यापिका के वेतन से कटौती किया जाता है। अगर हां, तो क्या शासन इन अल्प वेतन भोगी अध्यापिकाओं के इस वेतन कटौती के बारे में छानबीन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

नारी शिक्षा निकेतन की अध्यापिकायें नारी शिक्षा समिति की सदस्य होने के नाते एक रुपया प्रतिमास चन्दा देती है और इसकी उन्हें रसीद दी जाती है। वेतन से कटौती नहीं की जाती। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्रधानाचार्य का चयन

*10--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में 9 अगस्त, 1970 को जो प्रधानाचार्य का पद का चयन किया गया उसमें कितने अभ्यर्थी किस-किस योग्यता और अनुभव के थे और जो प्रधानाचार्या चयन की गई है उसकी क्या योग्यता और अनुभव है और इससे अधिक योग्यता और अनुभव वाले अभ्यर्थी को न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्यारह अभ्यर्थिनियों, जिनकी योग्यता तथा अनुभव की सूची संलग्न है, को बुलाया गया जिनमें 3 अनुपस्थित थीं और दो अभ्यर्थिनियों ने प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से नहीं प्रस्तुत किया। जिस अभ्यर्थिनी का चयन किया गया उसकी योग्यता एम० ए० तथा एल० टी० है एवं 17 वर्ष अध्यापन कार्य तथा दो वर्ष प्रधानाचार्य पद पर कार्य करने का अनुभव है। चयन की गई अभ्यर्थिनी से अधिक योग्यता अथवा अनुभव वाली अभ्यर्थिनियों को न चयन करने का कारण चयन समिति का विशेषाधिकार है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 334 पर]

प्रयाग महिला विद्यापीठ इन्टर कालेज, इलाहाबाद के प्रवक्ताओं के वेतन को रोकना

*11--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर) तथा श्री शिवलाल (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग महिला विद्यापीठ इन्टर कालेज, इलाहाबाद में ऐसी कितनी प्रवक्ता हैं जिन्हें वर्ष 1972-73 का वेतन नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कथित विद्यालय की तीन प्रवक्ताओं को प्रवक्ता तथा स्नातक वेतन-क्रम के अन्तर का अवशेष वेतन नहीं मिला है जिसके निम्न कारण हैं :--

तीनों प्रवक्ताओं के स्नातक वेतन-क्रम से प्रवक्ता वेतन-क्रम में पदोन्नति का मामला विवादग्रस्त था। निर्णय होने के पश्चात् अभी तक विद्यालय अधिकारियों द्वारा उक्त प्रवक्ताओं का अवशेष वेतन बिल प्रेषित नहीं किया गया।

*12--श्री ज्वाला प्रसाद कुरील तथा श्री शिव लाल--

क्या उक्त विद्यापीठ की किन्हीं अध्यापिकाओं ने शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। अतः उस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल इन्टर कालेज, हरैया, जिला बस्ती में गबन के सम्बन्ध में कार्यवाही

*13—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्टर कालेज, हरैया, जिला बस्ती के खिलाफ जनवरी, सन् 1970 से मार्च, सन् 1973 तक कितने रुपयों का गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के बारे में आडिट आपत्तियां हुई हैं तथा वे आपत्तियां क्या हैं? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक ने शासन से सिफारिश की है? यदि हां, तो इस पर अब क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम काकूपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, कानपुर में हो रही डकैतियों की जांच

*14—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर), चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर), श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) तथा श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना शिवराजपुर, तहसील बिल्हौर, जिला कानपुर के अन्तर्गत ग्राम काकूपुर में पड़ने वाली 4 महीने के अन्दर भीषण डकैतियों के सम्बन्ध में कानपुर के 13 विधायकों द्वारा जनवरी, 1973 में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो उसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला कानपुर के थाना शिवराजपुर अन्तर्गत ग्राम काकूपुर में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में विधायकगण का पत्र जनवरी, 1973 में प्राप्त हुआ। इस पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

उर्दू मीडियम में टीचर्स-ट्रेनिंग का प्राविधान

*15—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उर्दू मीडियम में टीचर्स ट्रेनिंग दिये जाने का जो एलान शासन द्वारा गत वर्ष किया गया था, तो उस सम्बन्ध में अभी तक ट्रेनिंग कालेज का प्रबन्ध न किये जाने का क्या कारण है, वह कब तक हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, ऐसा कोई एलान नहीं किया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

वेतन भत्ते के प्रश्न पर बेसिक शिक्षा परिषद् व जिला परिषद्, आगरा के मध्य विवाद

*16—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि जिला परिषद् आगरा व बेसिक शिक्षा परिषद् आगरा के मध्य अध्यापकों के वेतन व भत्ते के प्रश्न को लेकर विवाद पैदा हो गया है जिसके फलस्वरूप अध्यापकों का कई महीनों का वेतन रुक गया है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम उठाया है? अगर हां, तो इन अध्यापकों का वेतन कब तक मिल जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जूनियर बेसिक विद्यालय, जौनपुर के अध्यापकों के वेतन-भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

*17—श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद की नगरपालिका के कितने ऐसे जूनियर बेसिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों को अक्तूबर, 1972 ई० से आज तक वेतन नहीं प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त अध्यापकों ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र समस्त शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया है ? यदि हां, उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? वेतन न देने का कारण क्या है, क्या सरकार अविलम्ब वेतन दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ में अनुत्तीर्ण बी० टी० सी० अध्यापिकाओं की नियुक्ति

*18—श्री राम देव दुबे—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद का जिला परिषद् में कतिपय बी० टी० सी० अनुत्तीर्ण अध्यापिकाओं की नियुक्ति 2 जनवरी, 1973 ई० को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बिना चयन समिति की स्वीकृति लिये ही कर दी है ? यदि हां, तो ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

तीन अध्यापिकायें।

मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इन्टर कालेज, गोरखपुर में कार्यरत इन्टर जे० टी० सी० तथा सी० टी० अध्यापकों का वेतनक्रम

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री पूरन चन्द (जिला अलीगढ़)—

14 दिसम्बर, 1972 के नत्थो (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित पत्र जो प्रश्नकर्ता ने उनको दिसम्बर, 1972 में ही दिया है और जिसकी प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर एवं उप निदेशक, गोरखपुर को भी प्रेषित की थी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तराखंड में निर्वाचन क्षेत्रानुसार राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना का आधार

*20—श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखंड प्रभाग में पिछले दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्रानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किये गये ? क्या विद्यालयों का वितरण प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से किया गया ? यदि नहीं, तो क्या आधार रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

पिछले दस वर्षों में पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रानुसार निम्नलिखित राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल (हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज) खोले गये हैं--

जिला		विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा विद्यालयों की संख्या	
		डीडीहाट	पिथौरागढ़
पिथौरागढ़	..	12	3
		बद्री केदारनाथ	कर्ण प्रयाग
चमोली	..	8	6
		उत्तरकाशी निर्वाचन क्षेत्र	
उत्तरकाशी	..	4	

उक्त जिलों में शासन द्वारा विधान सभा क्षेत्रानुसार किसी प्रकार के विद्यालय नहीं खोले जाते हैं। नये विद्यालय साधारणतया जिला मैजिस्ट्रेट की संस्तुति पर तथा प्रस्तावित स्थानों की जनता की आवश्यकताओं एवं उन स्थानों के आस पास उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं।

एक सिपाही सहित उप-थानाध्यक्ष, दशाश्वमेध, वाराणसी का शिकायती-पत्र के आधार पर निलम्बन

*21--श्री उदयनाथ (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970 के 21 जुलाई, को वाराणसी जनपद के दशाश्वमेघ थाने के थानाध्यक्ष एवं उप थानाध्यक्ष तथा एक सिपाही को राज्य सरकार ने अनैतिक कार्य एवं घूस लेने के अपराध में मुअत्तल कर दिया था? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वाराणसी जनपद के दशाश्वमेघ थाने के उप निरीक्षक व एक कानिस्टेबिल को 22 जुलाई, 1970 को स्थानीय अधिकारीगण द्वारा एक शिकायती-पत्र के आधार पर निलम्बित किया गया था। उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। यह सही नहीं है कि थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया था।

श्रमजीवी पत्रकार श्री गोपाल चन्द्र वार्ष्णेय बनाम दैनिक प्रकाशन अलीगढ़ वाद के निर्णय का कार्यान्वयन

*22--श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)--

क्या मुख्यमन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रम न्यायालय (2) लखनऊ के दिनांक 28-8-68 के एवार्ड सं0 1/68 (केन्द्रीय) श्रमजीवी पत्रकार श्री गोपाल चन्द्र वार्ष्णेय बनाम दैनिक प्रकाशन, अलीगढ़ के निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु ए0 आर0 सी0 ओ0 अलीगढ़ ने

अपने पत्र संख्या 843 'एडजेडीकेशन केस नं0 1/68 दिनांक 20 मार्च, 1971 के अन्तर्गत श्रमिक के 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1970 तक के क्लेम को संतुष्ट होकर प्रमाणित करते हुए श्रमायुक्त कानपुर को वसूली हेतु सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी----

जी हां, ऐसी सिफारिश ए0आर0सी0ओ0, अलीगढ़ ने श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश कानपुर को की थी। लेकिन इसी विषय पर शासन को दिये गये उनके प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरान्त श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर ने 18 मार्च, 1971 को ही श्री वार्ष्णेय को सूचित कर दिया था कि वह अपने कथित क्लेम के लिये इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा 33-सी (2) के अन्तर्गत सक्षम श्रम न्यायालय से संगणन (Computation) कराने के उपरान्त धन वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

फर्रुखाबाद जिला परिषद् तथा नगरपालिकाओं के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेन्शन न मिलना

*23---श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला परिषद् तथा नगरपालिकाओं के ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनको एक वर्ष से अधिक अवकाश प्राप्त कर लेने पर भी पेन्शन नहीं मिली? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के ऐसे मामले का ब्योरा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल गुरुकुल, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*24---श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान बजन्ता तथा अभिभावकों के प्रार्थना-पत्र 22-2-73, 17-2-73, 3-2-73, 22-12-72, 18-12-72, 30-11-72, 27-11-72, 23-11-72, 13-11-72, 7-10-72, 19-9-72 को क्षेत्रीय विधायक श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर तथा चौधरी रघुराज सिंह, श्री विजयपाल सिंह, श्री शमीम आलम, श्री प्यारे लाल शर्मा, श्री धर्म सिंह, विधायकगण एवं टी0पी0 मिश्रा एम0एल0सी0 की संस्तुति सहित शिक्षा विभाग को व मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका मण्डल मेरठ को भी प्राप्त हुए हैं जिनमें राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल गुरुकुल, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् को मान्यता

*25--श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि राजकीय पुलिस फोर्स के कांस्टेबिल से लेकर हेड कांस्टेबिल तक के अराजपत्रित कर्मचारियों ने पुलिस और जनता

से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने व पुलिस कर्मचारियों को बेगार से बचाने व वैध उपायों से उनकी सेवा की परिस्थितियों के सुधारने के उद्देश्य से 13 मार्च, 1973 को राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् उत्तर प्रदेश का गठन करके पंजीकृत कराया है और मान्यता के लिये शासन को प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो शासन ने क्या निर्णय लिया और क्या पुलिस राजपत्रित कर्मचारियों आई० पी० एस०, पी० सी० एस० के एसोसियेशन्स को सरकार द्वारा मान्यता दी जा चुकी है? यदि हां, तो कब?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह पता चला है कि सात पुलिस कर्मचारियों ने एक कथित "राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्" का पंजीकरण 13 मार्च, 1973 को रजिस्ट्रार फर्म तथा सोसाइटीज के समक्ष कराया।

तीन पुलिस कर्मचारियों ने एक प्रार्थना-पत्र उपरोक्त परिषद् की मान्यता के लिये दिया है। पुलिस फोर्सेज (रेस्ट्रिक्शन्स आफ राइट्स) ऐक्ट, 1966 के प्राविधानों के अनुसार केवल उसी संघ को मान्यता प्रदान की जा सकती है जिसका संविधान उक्त अधिनियम के अनुकूल हो। राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद् का संविधान उक्त अधिनियम के प्रतिकूल होने के कारण उसे मान्यता नहीं दी गयी है।

शासन ने अपत्रित पुलिस संघ के गठन हेतु एक संविधान 1964 में स्वीकृत किया था और उसी के अन्तर्गत वैधानिक संगठन बनाया जा सकता था। शासन ने कुछ और संशोधन करके एक नया संविधान पुलिस कर्मचारियों द्वारा अंगीकार किये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक को 23 अप्रैल, 1973 को भेजा है।

आई० पी० एस० अधिकारियों की एसोसियेशन 'इण्डियन पुलिस एसोशियेशन' है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा 1922 में मान्यता प्रदान की गयी थी। उक्त एसोसियेशन की शाखायें प्रत्येक राज्य में हैं।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के "उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस एसोसियेशन" की 1920 में स्थापना हुई थी। यह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

ग्राम उद्योगिक इन्टर कालेज, अशोकनगर फतेहपुर के कुछ अध्यापकों द्वारा गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर से भी वेतन प्राप्त करना

*26--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि श्री सहदेव सिंह, प्रधान, ग्राम भरसवां, पोस्ट भदवां, जिला फतेहपुर से जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर को अक्टूबर, 1972 में एक लिखित सूचना इस आशय की मिली थी कि ग्राम उद्योगिक इन्टर कालेज, अशोक नगर (भरसवां), जिला फतेहपुर के कुछ अध्यापक 1965 से 1970 की अवधि में एक साथ उपर्युक्त इन्टर कालेज व गांधी विद्यापीठ इन्टर कालेज, घाटमपुर, कानपुर से वेतन प्राप्त करते रहे? यदि हां, तो क्या जांच में शिकायत सही पाई गई और अगर सही पाई गई तो क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

विभाग द्वारा जांच चल रही है। जांच पूरी होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

रेलवे मैजिस्ट्रेट चेकिंग की गिरफ्तारी के बाद कमला प्रसाद बरई, ग्राम नरायनपुर, पुरन्दरपुर, गोरखपुर द्वारा बस से कूद कर आत्महत्या

*27--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या सरकार दिनांक 18 जनवरी, 1973 के उपवेशन के लिये निर्धारित अल्प-सूचित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ व सम्बन्ध में कृपया बतायेगी कि क्या महलूक कमला प्रसाद बरई को बस से कूद जाने की तथाकथित घटना पर उसको पकड़ने का कोई प्रयास किया गया। और उसके सम्बन्ध में थाना जी0 आर0 पी0 पर कोई सूचना अंकित की गयी? यदि हां, तो किस तिथि व समय पर किसके द्वारा?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैजिस्टीरियल जांच से यह ज्ञात हुआ कि मृतक कमला प्रसाद बरई के बस से कूदने की घटना के समय उसको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जी0 आर0 पी0 कर्मचारी उक्त घटना से बेखबर रहे। पुलिस महानिरीक्षक ने दोषी जी0 आर0 पी0 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये हैं।

[10 मई, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में गबन के मामले पर कार्यवाही

*1---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1966-67 के लगभग कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में लाखों रुपये का गबन का मामला प्रकाश में आया जिसके आधार पर वहां के रजिस्ट्रार सोतो बोरेन्द्र चन्द्र और प्रधान लिपिक निलम्बित हुए तथा कई प्रधानाचार्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और क्या यह सही है कि वर्ष 1971 में उपरोक्त निलम्बित रजिस्ट्रार को ही उक्त संस्था का स्थायी रजिस्ट्रार बना दिया गया है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोतम दास टंडन)---

1966-67 में नहीं बल्कि 1965-66 में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ में गबन के मामले का ज्ञान शासन को हुआ। उसके फलस्वरूप वहां के रजिस्ट्रार सोतो बोरेन्द्र चन्द्र, एकाउन्टेंट तथा एक चपरासी को निलम्बित किया गया। तीन भूतपूर्व प्रधानाचार्यों तथा एकाउन्टेंट के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया क्योंकि रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगाया गया, अतः उनको 1971 में नियमानुसार लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर स्थायी कर दिया गया।

प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*2---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में केंद्रीय सरकार का कोई परिपत्र प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या है? यदि नहीं, तो सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

भारत सरकार से प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की इस सरकार

की घोषित नीति है। इस बारे में आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है तथा वहां विचाराधीन है । इस प्रस्ताव पर निर्णय प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

भूतपूर्व उप कुलपति एवं रजिस्ट्रार, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

*3--श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति तथा वर्तमान रजिस्ट्रार के विरुद्ध गम्भीर-भ्रष्टाचारों के आरोप लगाते हुए अगस्त, 1971 के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी परिषद एवं विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद के सदस्यों द्वारा कोई प्रतिवेदन मिला? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस विषय में की?

श्री कमलपति त्रिपाठी--

वर्तमान उपकुलपति तथा वर्तमान रजिस्ट्रार के विरुद्ध कोई कथित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

भूतपूर्व उपकुलपति डा0 सत्यव्रत सिंह तथा भूतपूर्व रजिस्ट्रार श्री विभूति भूषण भट्टाचार्य के विरुद्ध शिकायतें अगस्त, 1971 में प्राप्त हुई थीं जिसकी प्रति वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय जांच आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी।

*4--श्री निन्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*5--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त]

प्रदेशीय पुलिस कर्मचारियों से प्राप्त अम्युनिटीज फण्ड का विवरण

*6--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय पुलिस के कर्मचारियों से प्रतिमास किस दर से अम्युनिटीज फंड वसूल किया जाता है ? इससे सम्पूर्ण राज्य में कितनी धनराशि जमा होती है ? इस धनराशि का क्या कोई आय-व्यय का हिसाब अनुदाता पुलिस कर्मचारियों या उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं को कभी बताया जाता है ? क्या आय-व्यय एवं वितरण के संबंध में कभी संबंधित पुलिस कर्मचारियों की राय, सहयोग व विश्वास लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों से निम्नलिखित दर से अम्युनिटीज फंड वसूल किया जाता है--

1--पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक	3 रु0 प्रतिमास
2--उप पुलिस अधीक्षक/सहायक सेनानायक	2 रु0 प्रतिमास
3--इन्सपेक्टर, पब्लिक प्रासीक्यूटर, रिजर्व इन्सपेक्टर, कम्पनी कमांडर	1 रु0 प्रतिमास
4--सब इन्सपेक्टर, प्लाटून कमांडर, सहायक पब्लिक प्रासीक्यूटर, रिजर्व सब इन्सपेक्टर	75 पैसा प्रतिमास

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आज हमने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था कि हिन्डालको हाई कोर्ट से मुकदमा हार गया। सरकार का यह कर्तव्य था कि जिस समय हाई कोर्ट का फैसला हुआ उसी समय कनेक्शन तुरन्त कटवा देते। एक तरफ प्रदेश में बिजली का घोर संकट चल रहा है, किसानों को अपना नलकूप चलाने के लिये बिजली नहीं मिल रही है, दूसरी ओर एक उद्योगपति पर साढ़े 3 करोड़ रुपया बकाया है, वह हाई कोर्ट से हार गया पर फिर भी उसका बिजली का कनेक्शन नहीं काटा गया...

श्री अध्यक्ष—

वह अपील कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यही तो चार्ज है हमारा गवर्नमेन्ट पर कि सरकार उनको मौका दे रही है कि वे अपील कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं हो सकता।

अब एक माननीय हिम्मत सिंह, माननीय मोहनलाल कपूर तथा माननीय हरिनाथ तिवारी का है सूत के बारे में, इस पर कल 4 बजे से चर्चा होगी।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, अभी जो माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रातः 7 बजकर 15 मिनट पर हिन्डालको की बिजली काट दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह मिनिस्टर की तरफ से उत्तर दे रहे हैं या किस हैसियत से.....(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप किसी माननीय सदस्य का अपमान नहीं कर सकते। वे अपनी ओर से जानकारी दे सकते हैं यदि उनको कोई है तो। (व्यवधान)

श्री लोकपति—

मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरी जानकारी है इसकी। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कल माननीय मन्त्री जी सदन में सूचना दें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, परसों मैंने दुग्ध विक्रेताओं के बारे में कुछ आपसे निवेदन किया था। 5 हजार दुग्ध विक्रेता 2 लाख लीटर दूध यहां सप्लाई करते हैं। उनकी पहली मांग यह है कि उनको बैठने के लिये उचित स्थान दिया जाय क्योंकि पुलिस वाले उनको बहुत परेशान करते हैं। दूसरी मांग उनकी यह है कि उनसे यह सहकारी दुग्ध संघ 1.15 या 1.20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है और 1.80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। शासन के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, मैं सबेरे से कई बार उठा हूं लेकिन मुझे आपने समय नहीं दिया है ...

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, जो माननीय राम गोपाल संड जी ने इलाहाबाद के बारे में कहा है, वह सही कहा है। वहां पर हरिजनों की 1000 बीघे जमीन ले ली गई है। इससे वहां पर आतंक फैला हुआ है। वहां के प्रधान को मारने के लिये गुंडे लगा दिये गये हैं। आप किसानों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस पर आप व्यवस्था दें।

सुप्रीमकोर्ट के तीन जजों द्वारा त्याग पत्र देने के विषय पर बधाई देने के प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि 3 जजों श्री शेलट, ग्रोवर और हेग्डे द्वारा त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके सामने हम लोगों ने उपस्थित किया था, उस पर चर्चा करने के विषय में तो आपने निर्णय कुछ ले लिया होगा, वह तो आप बतायेंगे क्योंकि हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है..... (व्यवधान)। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल विधान सभा ने भी इस तरह के किसी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की है। और यह केन्द्र का ही सबजेक्ट माना जाता तो इतनी बात तो साफ है कि मुख्य मन्त्री पश्चिमी बंगाल ने एक बयान दिया जो अखबारों में छपा हुआ है और अपनी विधान सभा में दिया, मैंने स्वयं अखबारों में देखा था, वह प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ इसकी इत्तिला तो मुझे नहीं है लेकिन विधान सभा में इसकी चर्चा हुई। संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की विधान सभा को वही अधिकार प्राप्त है जो पश्चिमी बंगाल की विधान सभा को प्राप्त है। इसलिये मेरा निवेदन है कि विशेष परिस्थिति में इस सदन में उस विषय पर चर्चा करने का अवसर दें ताकि जनमानस की भावना का सही माने में यह सदन प्रतिबिम्ब बन सके और उससे मालूम हो सके कि जनता में जो आक्रोश, रोष और क्षोभ है उसे जनता के प्रति निधि इस सदन में व्यक्त कर सक ह।

श्री अध्यक्ष---

अपने कमरे में मैंने आप लोगों को बुलाया था और आप सब की बातें सुनने के बाद मैंने कहा था कि इस पर मैं बाद को फैसला दूंगा जिसे आपको स्वीकार करना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

कल तक असेम्बली बैठ रही है, फिर कब आप इस पर अपना डिसीजन देंगे?

* श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी जो माननीय कल्पनाथ सिंह ने अपने विचार आपके सामने रखे ह, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हिन्दुस्तान भर म सबसे बड़ा प्रान्त उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ी विधान सभा उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश की विधान सभा को दूसरों के लिये पथ प्रदर्शन करना चाहिये लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा पथ प्रदर्शन न कर सकी और पश्चिमी बंगाल की इतनी छोटी विधान सभा ने इसमें पथ प्रदर्शन किया। यह देख कर सारा देश उद्वेलित है कि अन्याय किया गया है न्यायपालिका के साथ, उसकी स्वतन्त्रता को छीना गया है और जितना जुडिशियल वर्ल्ड है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

वह इससे अन्धकार मय हो गया है कि उनकी स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे अवसर पर आपको लीड लेना चाहिये और हमें अवसर देना चाहिये ताकि उनके सम्बन्ध में हम अपने विचार प्रकट कर सकें।

मान्यवर, अभी हम लोग आपके कक्ष में बैठे हुए थे तो चलते चलते आपके मुंह से एक बात निकल गयी जिसको मैंने पकड़ा। आपने कहा कि वहां प्रशंसा की गई राष्ट्रपति की। ठीक है राष्ट्रपति की प्रशंसा की गयी, कोई राष्ट्रपति की प्रशंसा करना चाहता है तो करे, राष्ट्रपति के विरुद्ध तो हम कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। हम तो उन तीन जजों की प्रशंसा करना चाहते हैं जिन्होंने जुडिशियरी की आत्मा की रक्षा के लिये रिजाइन किया है और अपने भविष्य को अन्धकार की तरफ ढकेल दिया महज इसलिये की जुडिशियरी प्राण की रक्षा हो। जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने पथ प्रदर्शन की बात कही, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करने का अवसर दें। मैं समझता हूं कि यदि आप इस तरह का अवसर देंगे तो विधान सभा के इतिहास में यह बात अमर रहेगी कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिये, जनता के हित में सारे सदन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिये इस विधान सभा को अवसर दिया गया। और अगर इसके विपरीत आप फैसला देंगे तो उससे सब यही राय कायम करेंगे कि न्यायपालिका को प्रतिबद्ध करने के पक्ष में सब थे।

श्री अध्यक्ष--

ऐसे प्रश्न जितने होते हैं, जैसा कि मैं इस आदरणीय सदन के सामने पहले कह चुका हूं कि नेता लोग मिलकर आपस में एक मत होकर किसी को बधाई देना चाहते हैं या किसी की निन्दा करना चाहते हैं तो वैसा कर सकते हैं लेकिन इसमें राष्ट्रपति का नाम आ गया था इसलिये मैंने इस पर फैसला नहीं दिया था। बोलने तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम 289 (2) का (च) इसप्रकार है, "राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वैसे नहीं कर सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जहां शासक दल और विरोधी दल एक मत ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं उन पर नहीं छोड़ता हूं। आप कृपया बैठिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपकी रूलिंग के विरोध में क्योंकि इससे न्याय का हनन होगा, दो मिनट के लिये वाक आउट करता हूं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बंशीधर पांडेय--

रूल के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे फैसले पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं आपके फैसले के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी आप बैठिये क्योंकि न्याय का हनन हो रहा है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)--

हमको आप सुनते नहीं हैं। हमारे नेता खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं सबकी सुनता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मान्यवर, जब हम खड़े होते हैं तो आप हमको मौका नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी है।

(इस समय 1 बजकर 47 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके ऐसे अवसर पर इस कुर्सी पर न बैठें क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने ऐसी व्यवस्था दी है.....।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो यह है कि कभी वह बैठेंगे और कभी हम बैठेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो कल फिर आयेंगे, आपको अवसर है। अगर अवसर नहीं होता तो मैं कोई निर्णय लेता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कह दिया है.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष ने कहा है..... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, हमारे नेता खड़े हुए हैं और आप कहते हैं "नहीं"..... (व्यवधान)।

उन्नाव निवासी डाक्टर वाणीदत्त दीक्षित पर हुए आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-4-73 को थाना फतेहपुर 84 जिला उन्नाव पर डा० वाणीदत्त दीक्षित जी की ओर से लिखित सूचना प्राप्त हुई कि उसी दिन संध्या समय जब

[श्री उपाध्यक्ष

के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,95,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान 35-के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,38,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,11,62,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 के संबंध में प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, हमारे तिवारी जी ने 13 अरब रुपये का विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है । यह सही है कि सरकार ने जितनी धनराशि मांगी उसको सदन ने स्वीकार किया और भिन्न-भिन्न मदों में प्रयोग करने के लिये अनुमति मांगने का अवसर आया है तो इस विधेयक के द्वारा वे उसको मांग रहे हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनको अनुमति तो मिलेगी ही । लेकिन एक बात विचारणीय है कि हम किस व्यक्ति के हाथ में रुपया देने जा रहे हैं । हमको एक उर्दू का शेर याद आता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप व्यक्ति को दे रहे हैं या संस्था को दे रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं पर्सन सरकार को कहता हूं । मैं ऐसी सरकार को देने जा रहा हूं कि सदन जिसकी पिछले 26 साल से करामात देख रहा है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय माधव बाबू, इसमें से थोड़ा सा अपना समय तो निकाल दीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह जो मेरे साथी एक समय रहे उस समय यह दूसरी भाषा बोलते थे । एक पक्षी होता है जो मौके-मौके पर अपनी भाषा बदलता है । इसलिये आपने क्या कहा मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया । उसी प्रकार के लोग है, उस वक्त यह हमारी भाषा बोलते थे और अब उधर है तो उनकी भाषा बोल रहे है । मैं कह रहा था कि उर्दू का एक शेर है कि:

"मुझे तेरे वादये आफाक का यकीं तो है लेकिन,
तेरी पिछली करामात से जी डरता है ।"

मैं उर्दू नहीं जानता मुमकिन है मैं गलती कर गया होऊं और मैं इस का उच्चारण ठीक से न कर सका होऊं । आप मेरा आशय तो समझ ही गये होंगे । इस विधेयक के द्वारा हम जनता का 13 अरब से अधिक रुपया शासन के हाथ में सौंपने जा रहे हैं जिस शासन ने पिछले 26 वर्ष से जन जीवन के साथ खिलवाड़ की है और यह बात इस सरकार की करामात और आंकड़ों से सिद्ध है । आप मजाक कर लें जनता के हितों के साथ लेकिन वह समय शीघ्र आयेगा कि आप को इसके परिणाम भुगतने होंगे । अगर आप इस अपनी जिम्मेदारी को इतने नानसीरियस तरीके से लेते हैं कि पिछले 26 साल के अन्दर भी आप 22 करोड़ लोगों को पेट भर 2 जून भोजन भी नहीं दे सके और फिर भी आप को हंसी आती है तो इस से ज्यादा अफसोस की बात और हो क्या सकती है । इसके अलावा 23 करोड़ आदमी यहां ऐसे हैं, और आप की निरन्तर प्लानिंग का परिणाम यह है कि वह आज भी पावरटी लाइन से नीचे हैं । यह आप की 26 साल की करामात है ।

योजनाओं का इन की हाल यह रहा है कि पहली योजना के बाद कहा गया कि दूसरी योजना आयेगी वह पहली से अच्छी होगी उसके लिये रुपया दिया जाय । दूसरी के बाद तीसरी योजना आई तब भी कहा गया कि इस योजना में तो कुछ अधिक नहीं कर सके लेकिन इस योजना में अधिक काम होगा । इसी तरह से फिर चौथी योजना आई तो कहा गया कि तीसरी से यह अच्छी होगी और इसके लिये रुपया दिया जाय और अब इसी तरह से पांचवीं योजना के लिये कहा जा रहा है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कि उसमें बड़े-बड़े कार्य किये जायेंगे और उसके लिये रुपया दिया जाय । अभी कल ही प्रधान ने इनके घोषणा की है कि यह प्रथम बार है कि जब गरीबी को हटाने के लिये ठोस कदम उठाया जा रहा है और अभी तक पहले वालों ने कुछ नहीं किया, वह सब अयोग्य थे और अब की बार यह काबिल सरकार ही गरीबी हटाने के लिये ठोस कदम उठा रही है ।

पिछले जो शासक थे वह सभी नालायक थे, उन्होंने कोई ठोस कदम गरीबी को हटाने के लिये नहीं उठाया । अब यह वह कदम उठा रहे हैं । लेकिन इन की योजनाओं का परिणाम आप के सामने हैं । आज जनता के मन में इनके प्रति विश्वास नहीं रह गया है कि यह उसका कोई भी हित कर सकेंगे । किसी को कहा जाता है कि एक बार दो बार या तीन बार मौका दिया जाता है लेकिन इससे अधिक मौका देना बद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। मैं ईश्वर में और धार्मिक विचारों में विश्वास करता हूं, यह भारतवर्ष की जनता है कि 2 जून का भोजन उपलब्ध न होने पर भी सरकार को नहीं बल्कि भगवान को ही कोसती है और इसी भावना के सहारे आप बच रहे हैं । आपने बराबर जनहितों की अवहेलना की है इसको जनता अब समझने लगी है और परिणाम इसका आप को भुगतना होगा ।

आज कल के जितने समाचार पत्र हैं उनमें से 80 प्रतिशत मजबूरन आपका समर्थन करते हैं लेकिन आप देखें कि आप किधर जा रहे हैं । मैं यह पढ़ना चाहता है कि सरकार अपनी ही रिपोर्ट को देखें । यह कम्पट्रोलर एन्ड आडिटर जनरल की 70–71 की रिपोर्ट के बारे में एक एडीटोरियल है नार्दन इंडिया पत्रिका का, इस में लिखा है कि—

"This report is a revealing document as it discloses how careless and negligent a State administration can be in spending public money. The report, which was placed on the Table of the U. P. Assembly on the opening day of its winter session, brings out in great detail defective execution of plan and welfare schemes. It points out how serious cases of losses, infructuous expenditure, breach of financial rules, under-assessment of revenue, arrears in assessment and collection of sales tax and the incurring of huge losse by the State Electricity Board have resulted in enormouse wastes of public funds. On the face of its, the report as quoted by a news agency, is disquieting enough and shows how the various administrative wings of the State betrayed a lack of responsibility in handling public money and implementing some of the welfare projects."

यह आपने अपनी करामात का नमूना सुना जिसके लिये आप मुस्करा रहे थे । यह इस सरकार की करनी है जिसके हाथ में रुपया देने की यह मांग की जा रही है । यह इसको कल्याणकारी राज्य कहते हैं लेकिन इसका एक सैम्पिल मैं आपको दे दूं ।

आपने इन 26 वर्षों में इस कल्याणकारी राज्य में क्या किया? हमारे माननीय सदस्य साल भर में प्रश्नों द्वारा अनेक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे हैं लेकिन आपने यह नहीं समझा कि जनहित में जो कल्पनायें होती ह, वे क्या हैं? विधि बदल सकते हैं । आपने इस प्लानिंग में यह स्थिति पैदा कर दी कि लोगों को दो वक्त भोजन नहीं मिल रहा है । आप एक यूनिट को पूरे महीने के लिये 2 किलो गेहूं दे रहे हैं, पता नहीं यह आप किस अन्दाज से दे रहे हैं । और अप्रैल से तो शायद आप बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं । आपने किस अन्धकार में इस प्रदेश को डाल दिया है । आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि यहां पर कम्युनिस्ट रेजीम हो, डिक्टेटरशिप पनपे और डैमोक्रेसी से जनता का विश्वास उठे, उस एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठे । लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, आप कहते हैं कि कन्ट्रोल की दुकान खोल

दी, राशन की दुकान आपने खोल दीं। न वहां पर अनाज है और न वहां पर कपड़ा है। खैर इस पर तो कल बहस होगी।

और आपकी वैलफेयर स्टेट के बारे में बताना चाहता हूं कि आपने 50,000 आदमियों पर एक डाक्टर मुकर्रर कर रखा है। यह है आपके 26 वर्षों के शासन का नतीजा। इसमें मैं अपने को भी जोड़ता हूं। जितने समय तक हम शासन में रहे, हम एक महीने में ही जान गये थे कि हमें आगे नहीं चलना है। क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब क्या चाहता है। इस गरीबी को मिटाने के लिये जिसकी बात आप बार-बार कहते हैं क्या आपने कोई ठोस कदम उठाये ? आप भोजन नहीं दे पाये, दवा नहीं दे पाये। हमारे माननीय मन्त्री जी अस्पताल तो खोलते जा रहे हैं लेकिन न उनमें डाक्टर्स हैं और न दवा है। एक आदमी पर एक साल में एक आने की दवा का खर्चा होता है। करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का इस मद में खर्च हो रहा है लेकिन उन्हें लाभ कुछ नहीं हो रहा है। आज प्रदेश में लेप्रोसी, टी0 बी0 और ब्लाइन्डनेस तेजी से बढ़ रही है। कई अस्पताल भी बढ़ रहे हैं लेकिन दवा का कोई प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। लेप्रोसी की रोकथाम के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस प्रकार से पानी के बिना मछलियां तड़पती हैं उसी प्रकार से मरीज लोग दवाओं के अभाव में तड़प रहे हैं।

प्रदेश में आज कितने ही लोग हाउसलेस पड़े हुए हैं। 26 वर्षों में आपने कितने भूमिहीनों को जमीन दी है, कितने लोगों को मकान बनाने के लिये जमीन दी है। इनकी संख्या नहीं के बराबर है।

किसी विकासशील देश में विकास के लिए आवश्यक चीज है ला एण्ड आर्डर सिचुएशन का ठीक होना। उसकी पोजिशन क्या है। रोज आप अखबार में पढ़ते होंगे कि डकैत घर में घुस गये, सारे परिवार को जला डाला और माल लूट कर ले गये। आज किसी की बहू बेटी की कोई इज्जत बाकी नहीं रह गयी है। आज किसी की प्रापर्टी की सुरक्षा नहीं है।

ला एन्ड आर्डर की पोजिशन को देखते आज सारे प्रान्त की जनता असंतुष्ट है और अपने को असुरक्षित पाती है, तो कैसे इस प्रदेश का विकास होगा ? 4 तारीख को तो एक अद्भुत बात हुयी। पुलिस वालों ने हथियार रख दिए, अपने सुपीरियर अधिकारी की बात नहीं मानी, कैसे आप ला एण्ड आर्डर मेनटेन कर पायेंगे।

एक दूसरी बात कहना चाहता था। एग्रीकल्चर पर इनको बड़ा भरोसा था। मैं आज सरकार से जानना चाहता हूं कि विधान परिषद् में और यहां भी कि किस तरह रुपये का दुरुपयोग हुआ है। योर ग्रीन रेवूलूशन हैज प्रूवड मिस्ट। 80 लाख रुपये के थ्रेशर खरीदे गये। इसमें डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े आफिसर इन्वालब्ड हैं। एक आई० ए० एस०, डाइयेक्टर और इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के आफिसर उसमें इनवालब्ड हैं। उसमें कहा गया कि इन्क्वायरी करायें और हाउस को बतायें कि ये एलीगेशन सही हैं या गलत हैं। एक रिपोर्ट आती है कि सस्पेंड करो और इन्टीग्रिटी सार्टीफिकेट विद्हेल्ड करो। लेकिन बाद में क्या होता है। एन्टीग्रिटी सार्टीफिकेट रिलीज हो जाता है। क्यों नहीं हाउस को बताया कि सब बातें सही थीं या गलत। कुछ तो करते ? तो मान्यवर, देखें कि आज रुपये का दुरुपयोग किस तरह हो रहा है। कनपटीमार की राजनीति है इनकी। लोग छटपटाते रहते हैं और ये निकल जाते हैं इरीगेशन की बात ले लें। 2/3 भाग भूमि की भी सिंचाई नहीं कर पाये हैं। हमारे एक किसी माननीय सदस्य ने उसमें परसेंटेज की बात की। परसेंटेज की बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ही कहता हूं कि ये हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की नीति पर निर्भर हैं। भगवान जाने क्या स्थिति है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात ले लें। डा0 के0 एल0 राव जी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जान है विकास की। लेकिन आपने सारे देश को नष्ट कर डाला

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

26 वर्षों में एक कन्टीन्यूड प्लानिंग होने के कारण । इसकी जिम्मेदार सरकार है । यह के0 एल0 राव साहब का कहना है। और आज आप 13 अरब रुपये मांग रहे हैं।

कम्यूनिटी डेवलपमेंट की बात ले लें। उसकी प्राप्तियां क्या हैं? उसका जन साधारण और समाज से सम्पर्क नहीं है और कहते हैं कि वह विकास की रीढ़ है। लोकल पुलिस और पोलिटिकल पलिस, इनकी कमी होने वाली नहीं है। वह चलता रहेगा। आप जिस विभाग के लिये रुपये ले जायेंगे, उसमें उसका दुरुपयोग होगा। जो विजीलेंस है, वह काम का नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी आपका साथ दे नहीं रही है। ऐडमिनिस्ट्रेशन सेट अप बदलने के लिये किसी कमेटी को अपनायेंगे नहीं। ब्यूरोक्रेसी और जनता में तालमेल है नहीं। आप प्रदेश का विकास कर सकेंगे, इसमें जनता का भरोसा है नहीं। किस आधार पर आप 13 अरब रुपये की आखिर मांग कर रहे हैं ?

मान्यवर, मैं तीन मिसालें देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक थ्रेशर के बारे में। मैं फिर उसको दोहराता हूं। जो गिल्टी आफिसर्स हैं, उनका इन्टीग्रिटी सार्टीफिकेट क्यों नहीं रोका गया और यह बात क्यों नहीं हाउस में बताई गयी कि सारी बातें निराधार हैं।

एक एग्रो कारपोरेशन है। उसके बारे में तो रोज ही अखबार में निकलता है। आपके अफसर जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। कोई टेलीफोन करे, तो कह दिया जाता है कि मीटिंग में गये हैं। करेप्शन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जो है, वही सारा आधार है। 1862 केसेज हैं जिनमें मान्यवर, करीब दो करोड़ का इमवेजलमेंट है। इस तरह दुरुपयोग हो रहा है जनता के पैसे का और आप 13 अरब आज मांग रहे हैं। सीड स्टोर में करोड़ों का गबन है। जिन आदमियों के हाथ में 13 अरब रुपया देने जा रहे हैं, 26 वर्षों में उनका यह नतीजा देखा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही ले लें।

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति का चेयरमैन होने के नाते अनेकों बार ऐसे प्रश्न आये। 10-10 बार रिपोर्ट वापस की गयी। किन-किन विभागों में कितने चार्जेज हैं, मैंने सोचा कि एक सूची उसकी तैयार कर लूं। कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, जिनमें पब्लिक मनी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन देरी से हुआ है। इन सारी बातें की देन है यह सरकार जिसको हम 13 अरब रुपया सौंपने जा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

*श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, आज बजट के अन्तिम दिन में यह विनियोग विधेयक पेश हुआ है जिसके सम्बन्ध में जनसंघ दल के नेता ने काफी अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप पिछले बजट को देखते हुये कैसे फिजीकल अचीवमेंट्स को पूरा करेंगे। मान्यवर, मैं 50-51 की बात नहीं कहता, मैं तो 60-61 की बात कहता हूं कि तब से लेकर गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रिपोर्ट के अनुसार, करीब-करीब चार गुनी और पांच गुनी प्राइसेज बढ़ गई हैं। सीमेंट, लोहा, खाद पानी, इन सब सारी चीजों की दर पांच गुनी बढ़ गई हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपकी प्राइसेज हाई हो गई तो थर्ड प्लान के जो अचीवमेंट्स थे टोटल, वह आपके इस फोर्थ प्लान में बहुत कम हो जायेंगे जितने करोड़ रुपये का यह बजट लिया जा रहा है और आपने जो जनता को आश्वासन दिया कि आर्थिक संकट और गरीबी दूर करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रि-थिक करे कि क्या आप अपने इस बजट से वह परफारमेंस दे सकेंगे। मैं कहता हूं कि वह अचीवमेंट्स नहीं होगा जिसको आप एन्टीसिपेट करते हैं क्योंकि आपकी प्राइसेज हाई हो गई हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस समय 11 हजार टयूबवेल्स हैं पहली योजना से लेकर अब तक। यह 24 घंटे चलने के बजाय केवल 6 घंटे चलते हैं तो ये टयूबवेल्स 3 हजार टयूबवेल्स 24 घंटे चलने की क्षमता प्रदान करेंगे। इससे आपकी एग्रीकल्चर की हरित क्रान्ति अपन आप 3/4 समाप्त हो गई क्योंकि 11,000 टयूबवेल के परफोरमेंस 6 घंटे चल कर केवल 3 हजार टयूबवेल 24 घंटे का परफारमेंस देंगे।

आपकी इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा चोरी होती है। ट्रान्समीशन लोसेज आप कहते हैं कि 25 प्रतिशत है। मैं कहता हूं कि यह कम से कम 27–28 प्रतिशत होंगे। मैं इसको चोरी कहता हूं। मैं पूछता हूं कि आप बिजली कहां से लायेंगे? आपने बिजली के ऊपर जिन चीजों को बनाने का प्रोग्राम किया है वह कैसे पूरा करेंगे। कुछ चीजें सन् 88 में पूरी होंगी कुछ 81 में पूरी होंगी, तो कैसे आप पूरा करेंगे। एक तरफ तो 4गुना पानी, 4 गुनी खाद महंगी हो गई और भी प्राइसेज हाई होने के कारण जो चीज 5 लाख में बनती थी वह अब पूरे 20 लाख म बनेगी। तो आपने जो सारे आश्वासन दे रखे हैं, मुझे डर है कि फिर आप उन आश्वासनों को पूरा कर भी पायेंगे और वह अचीवमेंट्स होंगे भी। अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो आप नहीं कर पायेंगे। साढ़े आठ करोड़ रुपये का इन्फलेशन है जब कि सन् 1969 में 22 सौ करोड़ रुपये का इन्फलेशन था। साथ ही साथ आपका उत्पादन भी कम हुआ है—चाहे आप इन्डस्ट्री में देखें या एग्रीकल्चर में। इसलिये आपके फिजीकल अचीवमेंट्स पूरे नहीं होंगे। इस बजट रूपी चमन को हम एक ऐसे माली के हाथ में सौंपने जा रहे हैं जिसकी दिलचस्पी इसके हरा-भरा करने में नहीं है।

'खुदा जाने बुलबुल का क्या हाल होगा
खिजा जाते जाते, बहार आते आते।'

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च, 74 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए सरकार ने जितनी-जितनी धनराशियों की मांग की थी वे सब धनराशियां पूरी की पूरी इस माननीय सदन ने स्वीकृत कर दी हैं। अब माननीय वित्त मंत्री जी केवल इतना चाहते हैं कि उनको संहत निधि से धनराशियां निकालकर विभिन्न सेवाओं पर खर्च करने का अधिकार दिया जाय। इस स्टेज पर तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि जिन धनराशियों की स्वीकृति यह माननीय सदन दे चुका है संहत निधि से निकाल कर खर्च करने की इजाजत वित्त मंत्री को न दी जाय। वह तो दी जायगी और दी जानी चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध म मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं।

इस सदन ने बहुत बड़ी धनराशि 11 अरब की वित्त मंत्री की मांग के अनुसार स्वीकृत कर दी है। इसलिए वित्त मंत्री और इस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस धनराशि को जिम्मेदारी के साथ खर्च करें। वह इस बात को भी ध्यान में रखे कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह धनराशि स्वीकृत की गई है उसके लिये एक-एक पैसा ईमानदारी के साथ खर्च हो। वह इस बात को भी देखें कि आज प्रदेश म कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, लोग चीजों की कमी से परेशान हैं। आज लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, शकर नहीं मिल रही है, मिटटी का तेल बाजार से गायब हो गया है, सिंचाई के लिए काश्तकारों को डीजल नहीं मिल

[श्री जयराम वर्मा]

पा रहा है और भी अन्य चीजें बाजार से गायब हो गयी हैं। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, जरायम बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक व्याप्त है। इन सारी चीजों से जन जीवन त्रस्त है। अगर इन चीजों को दूर करने का प्रयास किया जायगा तब तो इस धनराशि का लाभ होगा।

मैं यह भी कहता हूं कि सरकार को किसी प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अगर उससे कहीं किसी बात की गलती हो जाय तो सरकार को अपनी गलती स्वीकार करके सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री ने इस सदन में घोषणा की कि कृषि की पदावार बढ़ी है। मैं कहता हूं कि वह आंकड़े गलत हैं और पैदावार कम हुई है। इसी प्रकार गल्ले के व्यापार को हाथ में लेने और किसानों को कम दाम देने की योजना चलाने का जो निश्चय किया गया है तो यह सरकार झूठी प्रतिष्ठा में पड़ी हुई है और यह प्रयत्न करना चाहती है कि वह स्कीम कामयाब हो। चाहे लोग कितनी ही परेशानी में पड़ जायं, लोग खाने से मरें लेकिन सरकार झूठी प्रतिष्ठा में पड़ी हुई है और अपनी गलती को स्वीकार करके सही रास्ते पर नहीं आना चाहती। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से इस तरह से गलत प्रतिष्ठा के मामले में न पड़ें। अपने प्रदेश के हित में, जनता के हित में उसको अपनी गलती को तस्लीम करनी चाहिए और सही रास्ते पर आकर काम करना चाहिए जिससे कि इस प्रदेश का कल्याण हो सके तथा आज जो परेशानी है वह दूर हो सके।

आज सरकार गांधी जी का नाम लेना चाहती है। उनके नाम की जय जयकार होती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज गांधी जी की राजनीति बिल्कुल नहीं रह गयी है। इस सरकार ने उनकी राजनीति को बिल्कुल छोड़ दिया है, उससे कोसों दूर चली गयी है। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। लोग बहुत दिन तक धोखे में रहने वाले नहीं हैं। आप कहें कुछ और करें कुछ। आपने गांधी जी की नीतियों को ताक पर रख दिया है। जनता आप पर विश्वास करने वाली नहीं है। गांधी जी की राजनीति नैतिकता पर आधारित थी। आज भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है वह दूर करना चाहिएट मेरी अपनी निजी जानकारी है कि मंत्रिगण आदेश देते हैं लेकिन उनके आदेशों की कोई परवाह उनके सेक्रेटेरियट में नहीं होती। 6-6 महीने उनके आदेश पड़े रहते हैं। उनके सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी उनके आदेशों की परवाह नहीं करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी का यह इंडीकेशन तो नहीं है कि हम ऐसे ही लिख कर भेज देंगे---विरोधियों की बात आये तो उसे न मानना।

श्री उपाध्यक्ष---

विरोधियों की बात के लिए भी तो यह विधान सभा है।

श्री जयराम वर्मा---

मेरे पास कई मिसालें आयी हैं। मैं मंत्री विशेष का नाम ले कर नहीं कहता। इशारा ही करना चाहता हूं। बात बड़ी भयावह है कि उनके आदेश न माने जाएं। मंत्रियों को खुद सोचना चाहिए कि उनके आदेशों की परवाह उनके सेक्रेटरी क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है कि वे समझते हों कि उनके आदेश सही नहीं होते हैं---उनके आदेश किन्हीं चीजों से प्रभावित हो कर होते हों। जब कभी सही आदेश होते हैं उनकी भी उनकी निगाह में कीमत नहीं होती है।

वित्त मंत्री जी कितने आदेश करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में उनकी परवाह नहीं होती है। वे आदेश पड़े रहते हैं और दूसरे विभाग वाले परेशान रहते हैं। योजना पूरी

करने के लिए रुपया दिया गया है परन्तु फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन जारी नहीं होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। वहां पर बहुत विलम्ब होता है। जब धन स्वीकृत हो गया तो फिर विभाग के सेक्रेटरी को उसको खर्च करने की अथारिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? फाइनेन्स डिपार्टमेंट से मंजूरी बहुत देर से आती है। मैं चाहता हूं वित्त मंत्री जी इस पर गौर करें और सोचें। अगर वे इस तरफ कदम उठायेंगे तो ज्यादा लाभदायक होगा और जो देरी होती है वह नहीं हो सकेगी। इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत हो गयी है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी हो गयी है उसको सही तरीके से खर्च करने की।

आज तरह-तरह की कठिनाइयां व्याप्त हैं। किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं देना चाहते हैं। हम समझते थे 1970–71 में कि हम खाद्यान्न के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे परन्तु उसके बाद से बराबर हमारी पैदावार घटती जा रही है। 1972–73 में घटी है और 1973–74 में घटने वाली है। मेरा सुझाव है कि अगर आप चाहते हैं कि गल्ले में हम आत्मनिभर हो जायं और दूसरे का मुंह न देखना पड़े, तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। मुनासिब दाम किसान को देना पड़ेगा। आज जिस तरह से बिजली की हालत है और आप परवाह भी नहीं करते हैं, तो किसान क्या करेगा। बरेली के एक सदस्य कह रहे थे कि वहां पाइरिला का प्रकोप है लेकिन इस सरकार को उसकी फिक्र नहीं है। इस कार्य में जल्दी की जरूरत होती है। अगर आप जल्दी ही ऐसा नहीं करेंगे और सोचेंगे कि किसान अपने पैसे से यह करे तो वह तो करने वाला नहीं है और इस तरह से वहां भी देवरिया की तरह लाखों रुपये का नकसान हो जावेगा। सरकार को इस ओर शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये।

वित्त मन्त्रीजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रुपये की मांग की गई है, कृपा कर उसी उद्देश्य की पूर्ति में यह रुपया लगाया जाय, तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकेगा।

एक सदस्य—

मुझे एक मिनट बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

विरोधी दल के नेता जब बोल चुके हैं तो वह सारे विपक्ष की ओर से बोले हैं। म आपसे मर्यादा की बात कह रहा हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नेता विरोधी दल और अन्य साथियों ने जो विनियोग विधेयक पर सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं। सिर्फ जनसंघ के नेता कुछ पटरी से उतरकर बोले हैं। मैं आशा करता था.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पुरानी पटरी से 26 वर्ष से चलते रहे हैं, वह मर गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

27वें वर्ष में पटरी पर आ जाओगे।

नेता विरोधी दल ने कहा कि वित्त विभाग को खर्चे के आदेश जल्दी जारी करने चाहिये। यह सुझाव पहले भी उन्होंने दिया था। मैंने इस बारे में अपने बजट भाषण में संकेत किया था

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि अब परिपाटी वित्त विभाग ने बदल दी है। जितने पैसे की और जिन मदों की प्री-बजट स्क्रूटिनी हो चुकी है, जिस पर यह सदन बहुत जोर देता है और इस्टीमेट्स कमेटी और पी० ए० सी० में जिन पर चर्चा नहीं होती है, उनकी सिफारिश है कि प्री-बजट स्क्रूटिनी के बिना कोई आइटम नहीं आना चाहिये। कभी-कभी महत्वपूर्ण मद होते हैं और बजट से पहले उनकी जांच नहीं हो पाती है तो उसके लिये लिख रहे हैं कि इनकी स्वीकृति जांच के बाद दी जावेगी। तो जिनकी प्री-बजट स्क्रूटिनी हो चुकी है उनके लिये आदेश वित्त विभाग 15 दिन के अन्दर जारी कर देगा और जिनकी स्क्रूटिनी नहीं हो सकी है उनके लिये प्रयास यह है कि बजट पेश हुए एक महीना 15 दिन हो चुके हैं, तो उसी दिन से वित्त विभाग और सम्बन्धित विभाग उन मदों की स्क्रूटिनी कर रहे हैं, ताकि सदन की स्वीकृति जैसे ही हो जाय, तुरन्त प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये जायं। मैं सहमत हूं कि जो खर्च स्वीकृत हो जाय उसके आदेश शीघ्र हो जाने चाहिये। पिछले वर्षों में इसके लिये प्रयास भी किया गया है।

इस वर्ष जैसा कि मैंने बजट भाषण में कहा है तीन मुख्य विभागों में इन्टरनल वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये हैं। कृषि उत्पादन विभाग, शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग, इनमें वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त किया जाता है—यह बजट भाषण के पहले पेज में लिखा हुआ है और अगले वर्ष और अधिक रखे जायेंगे, ऐसी परिकल्पना है। तो इंटरनल फाइनेन्सियल ऐडवाइजर जहां ज्यादा खर्चा होता है वहां ज्यादा सहूलियत उनसे खर्चा करने में होगी।

हमारे नेता जनसंघ, मुझे दुःख है कि परस्पर विरोधी बातें करते हैं। एक तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय पढ़ दिया कि आडिटर जनरल कहते हैं इतनी इरेंगुलरिटीज हुई, इतना खर्चा हुआ, यह बहुत हुआ—यह कांपट्रोलर जनरल ने कहा है यानी फाइनेन्सियल कंट्रोल ठीक नहीं है, इरेंगुलरिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि फाइनैन्सियल डिपार्टमेन्ट जहां बैठता वहां हर काम में ढील दे देता है। अगर फाइनैनश्यिल डिपार्टमेंट ढील दे दे तो इतनी इरेंगुलरिटीज हो जायं कि आडिट रिपोर्ट को आप कोट भी न कर सकें। आप खुद ही कहते हैं कि थैली को संभाल कर रखिए। आप देखें कि 13 अरब, 1 करोड़ रुपया सदन ने स्वीकार किया है। इतना बड़ा बजट इतिहास में कभी नहीं हुआ। 26 साल पहले का जिक्र माधव प्रसाद जी ने किया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, तमाम दुरुपयोग के लिये जिम्मेदार यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो मैं कुछ नहीं कहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पहले बजट केवल 50 करोड़ रुपये का होता था जमाना कितना बदल गया जनसंघ तब था भी नहीं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

तब 14 सेर का गेहूं था, एक रुपया सेर बढ़िया घी था और तीन मन की लकड़ी मिलती थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं कहता हूं कि तब 50 करोड़ का विनियोग विधेयक था, अब 13 अरब में पहुंच गया और कृपया योजनाओं से आप क्यों घबड़ाते ह ? आपको भी योजनाएं बनानी पड़ेंगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं बिलकुल विरोधी नहीं हूं योजनाओं का, लेकिन जिस प्रकार आप थाटलेस बताते हैं उसका विरोधी हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

धन्यवाद । आप प्लांड इकोनामी, नियोजित अर्थ-व्यवस्था के भी विरोधी न बनें, क्योंकि उससे हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते । मंहगाई का मुकाबला करने के लिये प्लांड इकोनामी की आवश्यकता है और यह आवश्यक है कि सही दाम नीति और सही योजनाएं बनाएं ।

आज जो सूखा की वजह से, कई कारणों से महंगाई हुई है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न विभाग में जो भी हुआ है वही इनफ्लेशन को रोकेगा जिसका जिक्र यहां हुआ ह और पांडेय जी ने किया है । तो अपेक्षा तो यह थी कि विरोधी दल हमारे इस सही कदम का समर्थन करता और थोड़ी तकलीफ जो इस दाम नीति को स्थिर करने में और महंगाई को रोकने में हो रही ह उसको बरदाश्त करके उसका स्वागत करते, लेकिन विरोध के कारण ही विरोध हुआ । यह देखने की चीज है कि किस तरह से शान्तिपूर्ण क्रान्ति हो रही है, एक क्रान्तिकारी कदम, प्रजातांत्रिक माध्यम से उठाया जा रहा है। तो इसकी तारीफ होनी चाहिए थी कि यह हिम्मत का काम हुआ है और आप इकोनामी के नये तरीकों का प्रयोग करके अर्थ-व्यवस्था को एक नया मोड़ दे रहे हैं और उसके लिए जनमानस को तैयार करते, वातावरण तैयार करते यह अपेक्षा थी । लेकिन विरोधी दलों ने उसका उल्लेख नहीं किया और हमको वह सपोर्ट नहीं दी जो राजनीति से ऊपर उठ करके हम को देनी चाहिए थी । हर समय राजनीति, राजनीति, राजनीति, चुनाव, चुनाव, वोट, वोट ! ! कहां यह हमको ले जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इनकी दाम नीति के अनुसार जब प्रदेश में क्रान्ति आ रही है तो तभी से दाम चीजों के बढ़े हैं या घटे हैं, यह बतला दें ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मोतीलाल जी से आग्रह करूंगा कि कभी तो "मोतीलाल नाम सार्थक करें" तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कर-बद्ध प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश की अर्थ-नीति, राजनीति और समग्र जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तनों की पुकार है कि हम अब राजनीति से ऊंचे उठकर आगे आयें और जब कि हमारा दिल और दिमाग कहता है कि बात सही है, लेकिन हम विरोध करन के लिए विरोध करते हैं। इसलिये कि हम यह जानते हैं कि कल को हमें खुद करना पड़ेगा, हमारी सरकार बनेगी । लेकिन आज शायद हम जीत जायं इसलिये हम उसमें कूद जाते हैं । यह आग के साथ हम खेल कर रह हैं । तो मैं आग्रह करूंगा कि आग के साथ हम खेलें । वह डिक्टेटरशिप कह रहे हैं । डिक्टेटरशिप आज तो नहीं है लेकिन आग से खेलने का नतीजा यह होगा कि डिक्टेटरशिप आ जायगी ।

श्री बंशीधर पांडेय—

बहरे हवादिश उन्हें कभी साहिल नहीं मिलता,
सफीना जिनके तूफानों से टकराया नहीं करते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

बंशीधर जी शेर बहुत जानते हैं। मैंने भी एक, आध शेर पढ़ी है—

वही रास्ते वही गफलत, वही बुलबुले, वही मरहले,
मगर अपने-अपने मकान में कभी हम नहीं कभी तुम नहीं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

ताज्जुब नहीं जो मजलूमान को जोशे इन्तकाम आये,
यों परवरिश पाती है बिजली भी तो पानी में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस सरकार ने जो संकल्प किया है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिये यह महान पार्टी संकल्पबद्ध रहेगी और इसी दृष्टिकोण से यह बजट प्रस्तुत किया है और आज यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा सम्मानित सदन से और खासतौर से विरोधी दलों से कि चुनाव के झंझावत से ऊपर उठ कर योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग दें।

श्री रामगोपाल संड—

यह भारत देश महान् है या पार्टी महान् है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

संड जी तो मजदूर नेता हैं। कम से कम यही कह देते कि 12 लाख कर्मचारियों को 74 करोड़ का लाभ एक वर्ष में यह सरकार दे रही है।

श्री रामगोपाल संड—

यह सरकार जीने लायक वेतन भी तो नहीं दे रही है। सरकार कहती है मिनिमम वेज 165 रुपये और गरीब मजदूर कहते हैं 260 रुपये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप बजट के अन्दर देखेंगे कि 165 रुपये कम से कम हम कर्मचारियों के कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड—

एक रुपये का गेहूं 2 रुपये होने जा रहा है यह भी तो बताइये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

तो मैं यह आग्रह करूंगा.....

(व्यवधान)

कि इस विनियोग विधेयक को यह सम्मानित सदन पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने विचार किया जाय कहा इसलिये एक जुमला सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा स्टेज पारण का आयेगा तब कहियेगा।

खंड 2, 3 अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973

31 मार्च, 1974 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों क भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1973 कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1974 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष क भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका योग कुल [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1973) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 13,01,93,58,500 रुपये (तेरह अरब एक करोड़, तिरानवें लाख, अट्ठावन हजार, पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1973–74 के लिये 13,01,93,58,500 रुपये का दिया जाना।

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1974 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
1	वृहत् जोत कर ..	4,11,300	2,000	4,13,300
2	भू-राजस्व ..	19,29,64,800	17,700	19,29,82,500
3	राज्य आबकारी ..	78,62,700	2,000	78,64,700
4	बिक्री-कर ..	1,93,74,800	5,000	1,93,79,800
5	अन्य कर और शुल्क	27,19,800	2,000	27,21,800
6	स्टाम्प ..	29,96,500	1,000	29,97,500
7	निबन्धन ..	47,29,100	200	47,29,300

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु०	रु०	रु०
8	राज्य विधान मंडल . .	75,53,600	99,300	76,52,900
9	निर्वाचन . .	1,12,42,300	. .	1,12,42,300
10	सामान्य प्रशासन . .	5,15,14,200	26,85,900	5,42,00,100
11	आयुक्त और जिला प्रशासन ।	15,02,16,700	20,000	15,02,36,700
12	गांव सभाएं और पंचायतें	4,52,08,200	2,000	4,52,10,200
13	न्याय प्रशासन . .	4,67,49,100	87,21,200	5,54,70,300
14	कारागार . .	3,82,25,100	2,000	3,82,27,100
15	पुलिस . .	34,72,12,600	6,000	34,72,18,600
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन . .	3,00,50,800	65,000	3,01,15,800
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य . .	44,18,700	300	44,19,000
18	शिक्षा . .	1,54,71,23,700	2,000	1,54,71,25,700
19	चिकित्सा . .	34,88,41,500	11,000	34,88,52,500
20	सावजनिक स्वास्थ्य . .	52,84,74,900	1,700	52,84,76,600
21	कृषि संबंधी विकास . .	27,52,94,300	1,07,400	27,54,01,700
22	उपनिवेशन . .	22,300	. .	22,300
23	पशुपलन और मत्स्य पालन . .	8,47,59,500	3,000	8,47,62,500
24	सहकारिता . .	5,63,69,300	1,500	5,63,70,800
25	उद्योग . .	6,77,24,400	5,500	6,77,29,900
26	नियोजन और समन्वय	29,17,80,500	5,000	29,17,85,500
27	श्रम और सेवायोजन	5,16,38,400	8,000	5,16,46,400
28	सूचना निदेशालय . .	52,23,800	500	52,24,300
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां . .	10,71,22,700	1,000	10,71,23,700
30	समाज कल्याण . .	97,05,800	500	97,06,300
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	42,97,02,700	2,000	42,97,04,700
32	सिंचाई अधिष्ठान . .	18,21,42,600	42,000	18,21,84,600
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं . .	21,62,29,000	3,13,500	21,65,42,500
34	संचार साधनों का सुधार	82,23,900	. .	82,23,900

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	9,55,50,000	5,000	9,55,55,000
36	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	2,12,94,300	..	2,12,94,300
37	परिवहन ..	4,49,34,000	5,000	4,49,39,000
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	6,00,01,200	6,00,01,000	22,00,02,200
39	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	5,84,62,500	1,90,800	5,86,53,300
40	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते ..	1,26,75,000	..	1,26,75,000
41	लेखन-सामग्री और मुद्रण	3,30,21,300	..	3,30,21,300
42	वन एवं पर्यटन ..	11,15,15,200	40,000	11,15,55,200
43	प्रकीर्ण व्यय ..	20,20,25,000	7,1000	20,20,32,100
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	2,16,18,700	1,100	2,16,18,800
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	56,20,02,000	56,20,02,000
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार..	..	2,87,49,81,100	2,87,49,81,100
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	7,40,75,200	2,000	7,40,77,200
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	15,37,60,100	1,00,000	15,38,60,100
47	बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	10,27,27,000	..	10,27,27,000
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	62,14,48,200	2,000	62,14,50,200
49	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	50,24,61,300	3,00,000	50,27,61,300
50	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	8,69,40,700	50,100	8,69,90,800
51	पेंशनों का राशि मूल्य	7,41,100	1,00,000	8,41,100
52	राज्य व्यापार की योजनायें	1,26,12,63,900	100	1,26,12,64,000
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	87,10,91,700	..	87,10,91,700
	योग ..	9,50,94,36,000	3,50,99,22,500	13,01,93,58,500

* भारित विनियोग।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और उसके प्रत्युत्तर में जो हमारें तिवारी जी ने कहा उससे मुझे बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा कि हम पटरी से उतर गये। लेकिन अगर 26 वर्षों से उसी पटरी पर चलते रहे जिस पर चल कर उन्होंने देश को यहां तक पहुंचा दिया तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम पटरी से नहीं उतरे, लेकिन जिस रुपये को खर्च न करके अपनी पाकेट में रख लिया जाता है और जिसके बारे में मैंने इतने प्रश्न उठाये लेकिन एक का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया।

यह तो एक नेशनल क्राइम है, मगर उसके बारे में मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसका जवाब एक है जैसा कि विधान परिषद् में एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर आपने देश को नहीं सुधारा तो चौराहे पर आपको जवाब देना होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाओं का बड़ा नाम लिया। मैं माननीया प्रधान मंत्री जी के एक बयान के अंश को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने 17 अप्रैल को नयी दिल्ली म गांधी मेमोरियल हाल में दिया--"महात्मा जी का दृष्टिकोण विशाल था और वे किसी वाद में विश्वास नहीं रखते थे। आज हमें चाहिये कि उनके आदर्शों को अपना कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।" मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आज सारी समस्याओं को हल करने के लिये गांधी जी का बताया हुआ मार्ग है। मगर आप क्या उस पर चल रहे हैं ? यह जितना भी रुपया आप खर्च करेंगे सारा अपव्यय होगा। आपने कर्मचारियों को खुश करने के लिये कह दिया हमने इतना बढ़ाया, मगर महंगाई की ओर भी आपने ध्यान दिया ? आपने किसान और मजदूरों के लिये क्या किया ? उनकी आपको तनिक भी परवाह नहीं है। किसानों की आपने बिजली कटवा दी, पानी कटवा दिया और उनकी जरूरत की हर चीज के दाम बढ़ा दिये। फिर आप किसानों की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को पुलिस के सामने पिटवाया जाता है, उनका कत्ल करवाया जाता ह, जो पहले कभी नहीं हुआ था। छात्रों पर जिस प्रकार लाठी और गोली आपने चलवायी पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। भ्रष्टाचार जितना आपके समय में बढ़ा कभी देखने में नहीं आया। आज कोई मंत्री भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगा चारों तरफ बही है। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हीं को आपने तरक्की दी और बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया। ब्राह्मण वाद आपने खूब फैलाया। लखीमपुर खीरी में एक कृषि अधिकारी ने 32 हजार का गबन किया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आप प्रसंग के अनुकूल नहीं बोल रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी

मान्यवर, इन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ाया और भ्रष्टाचार को जितना इन्होंने बढ़ावा दिया उतना किसी ने नहीं दिया।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

मैं एक शेर ही कहना चाहता हूं--

"दिल में सोजे गम हो लेकिन, अश्क अफसानी न हो।
उससे पूछो जिसका घर जलता हो और पानी न हो।"

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 13 अरब रुपये का यह सदन अनुदान देने जा रहा है। यह भी सही है कि कुछ कार्यक्रम आपने सुझाये हैं, उन पर अमल करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी मशीन आपके पास है, जिसके जरिये आप इस रुपये को खर्च करने जा रहे हैं? कौन सी मशीनरी है जिसके द्वारा आप इस स्कीम का कार्यान्वित करने जा रहे हैं? आज सरकार ने समाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया किन्तु सरकार की नौकरशाही बड़े-बड़े भूस्वामियों और गल्ला चोरों से मिल कर आपकी उस स्कीम को फेल करने जा रही है। आपने सीलिंग का कानून पास किया, किन्तु आपकी नौकरशाही ने सीलिंग कानून में जो लूप-होल्स थे, उनका सहारा लेकर सारी जमीन चोरों को दे दी। आप इन कार्यक्रमों पर तब तक अमल नहीं कर सकते हैं, जब तक आपने अपने नौकरशाही में आमूल परिवर्तन नहीं किया। ये नीतियां आधे दिल से नहीं चलेंगी, नौकरशाही पर आपको अंकुश लगाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, इसका जवाब तो खामोशी ही है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1973 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973†

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाए। श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। इसका कारण यह है कि अभी तक जो हमारा विधेयक है, उसके अनुसार जो एडवाइजरी कमेटी है उनकी सलाह जो आती है, उसका यहां पर जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह लाया गया है।

---

† 9 मई, 1973 की कार्यवाही में छपा है।

*श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दे। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे) मान्यवर, मैं इस संशोधन को इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि अभी दो-एक महीने पहले यह संशोधन लाया गया था, तब मैंने प्रवर समिति में उसे भेजने पर जोर दिया था, जिससे सारी बातों पर एक साथ विचार कर लिया जाए, क्योंकि जो बीड़ी पत्तों पर काम करते हैं उनकी हालत बड़ी खराब है किन्तु उस समय उसे नहीं माना गया। इस पर विचार होना चाहिए प्रवर समिति में कि इनके मजदूरों को क्या मजदूरी दी जाए, जिससे वे दो समय भोजन कर सकें, पत्ते का रेट क्या हो ?

जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर उन्हें उन्ही दर पर मजदूरी दी जानी चाहिए। पत्तों को जो इकट्ठा करते हैं, उन्हें जीने लायक वेतन नहीं दिया जाता है। यह संशोधन सरकार बड़ी जल्दबाजी में लाई है, इन सारी बातों पर विचार करने के लिए आप श्रीमन्, समिति बनाएं। मिर्जापुर आदि में जो छोटे-छोटे किसान इसमें लगे हुए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध कैसे किया जाए, उनकी चिकित्सा का कैसे उत्तम प्रबन्ध किया जाए। इस पर ठीक से विचार नहीं हुआ तो यह ठीक नहीं होगा। वह बड़ी मासूमियत से छोटा सा विधेयक ले आए हैं। इसका मतलब यह है कि यह स्वीकार करते हैं कि मजदूर इतनी कम मजदूरी पर काम नहीं कर सकता है। जी नहीं सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मिर्जापुर के सुदूर जंगलों के जो मजदूर हैं, उनको जीने लायक वेतन दिया जाए। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया ह उसका मैं हार्दिक समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब ज्यादा न बोलिए।

श्री राम प्यारे—

हमारे प्रदेश के लिए और खास कर उन मजदूरों के लिए जो इस पत्ती की व्यापार में लगे हुए हैं एक राहत का बिल है। तेंदू पत्ता व्यापार जितने दूसरे प्रदेश हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा उन्होंने मजदूरी देते समय अपनी परिस्थितियों को ख्याल नहीं किया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने हमारे उन क्षेत्रों, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड या मिर्जापुर का दक्षिणांचल, बनारस का दक्षिणांचल, उन मजदूरों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जो अमेंडमेंट लाये हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष जी, मैं राजा साहब से बहुत अदब से कहना चाहता हूं यह बिल देखने में जरूर छोटा है वह अलग बात है लेकिन—मुझे आपके ला डिपार्टमेंट पर रहम आता है। क्या ला डिपार्टमेंट में ऐसे लोग नहीं हैं जो इतने छोटे संशोधन करने के लिए भी विचार नहीं कर सकते थे। मुझे तो दुख इस बात का है कि इतने छोटे-छोटे संशोधनों के लिए आप विधान सभा का समय खराब करते हैं। दूसरी बात एक और है। सेक्शन 7 में जो आपने परिवर्तन किया है और जो उद्देश्य है, उसमें लिखा है राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह किसी वर्ष के लिए नियत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तेंदू पत्ते के मूल्य में उस वर्ष के दौरान वृद्धि कर सकेगी । सेक्शन में दूसरी बात दी हुई है। राज्य सरकार साल में मूल्य निर्धारित करेगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। जो उद्देश्य उल्लिखित हैं उसमें वृद्धि ला रहे हैं लेकिन जो क्लाज बढ़ाया है उसमें खाली इतना कहा है कि कम नहीं होगा। मेरा सुझाव यह है कि आप उसको मान लीजिये, अगर आपकी यह मंशा होती तो आप खाली इतना लिख कर छोड़ देते कि इसमें परिवर्तन किया जायगा। आपने इतना लिखा कर इस बात की गुंजायश दे दी ह कि कोई तेंदू पत्ता का व्यापारी अगर आप मूल्य बढ़ायेंगे तो कोर्ट में जायगा और कहेगा कि क्योंकि राज्य सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है मूल्य बढ़ाने का केवल कम करने का अधिकार है इस बिना पर अगर हाई कोर्ट में चला जायगा तो जो मंशा है वह खत्म हो जायगी। इस पर भी आप विचार कर लें। इसलिए आप प्रवर समिति को भेज दें। शायद इस पर विचार होकर मेरी बात मान ली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन 1 माह में दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनिमयन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करके के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त ना

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972 की धारा 7 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 7 की उप-धारा (2) में शब्द "ऐसे दिनांक के पूर्व और" निकाल दिये जाएं और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे तथा शब्द "उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा" के स्थान पर शब्द, "उसमें कमी नहीं की जायगी" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत तीन सूचनायें आई हैं ये सब स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, इसलिये उनको अस्वीकृत किया गया।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मेरे प्रश्न को मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिये ही भेज दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मेरा प्रश्न भी बड़े लोक महत्व का है.....

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी ने आज उस पर वक्तव्य दे दिया। वह इन्तजाम करेंगे।

गोंडा में मोहर्रम के दिन चेयरमैन, नगरपालिका द्वारा दंगा कराने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बराबर सरकार के समक्ष 24 मार्च से रखा गया लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष का एक आदमी इसमें इंवाल्व है इसलिये सरकार की पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई थी कि उसको कैसे बचाया जाय? आज इस विषय को स्वीकार कर इस पर विचार करने का जो अवसर दिया गया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस देश में साम्प्रदायिक दंगे बराबर होली और मोहर्रम के अवसर पर होते हैं। जांच करने के लिये जब कहा जाता है तो हमेशा भारतीय जनसंघ पर आरोप लगाया जाता था कि वह दंगे कराता है जो कि मिथ्या होता था। सरकार ने इस पर आयोग बैठाया और रघुबर दयाल कमीशन ने 21 दंगों की जांच की और उसके बाद यह रिपोर्ट दी कि 20 दंगों को मुसलमानों ने नियोजित होकर किया है और एक हिन्दुओं ने कराया था और कहीं जनसंघ का नाम नहीं लिया।

गोंडा में एक मन्दिर बनाया गया था, यह एक बहुत विशाल मन्दिर था और गाढ़ी कमाई से बनाया गया था। आसपास के जिलों में इतना अच्छा मन्दिर देखने को नहीं मिलेगा। उसकी मूर्तियां, साज सज्जा तथा दीवारें रमणीय हैं। उसको देखने के लिये अयोध्या, फैजाबाद, बहराइच तथा गोरखपुर से लोग आया करते थे। मोहर्रम के दिन उस मन्दिर की परिपाटी रही है 24 घंटे घंटे बजते हैं, आरती होती है, पूजा होती है।.....

श्री उपाध्यक्ष---

पहल विवेचना हो रही थी अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा लेकिन अब जांच आयोग के सुपुर्द हो जाने से स्थगित कर दी गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह जांच आयोग की बात गलत है । इसमें 42 लोग पकड़ लिये गये । ऐसे लोग पकड़े गये जिनका कोई सम्बन्ध नहीं था। रिक्शा चलाने वाले आदमी बन्द हो गये । लेकिन जो नगरपालिका चेयरमैन हैं और जो सत्ता कांग्रेस में बैठा है और जिसने कि वहां पर ललकार-ललकार कर दंगे करवाये हैं, जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाई है। इस आदमी का नाम एफ0 आई0 आर0 में दफा 302 के अन्तर्गत टाप पर लिखा हुआ है।

जिस समय गोंडा के नागरिकों ने एक मीटिंग की थी और उसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। मैं वह प्रस्ताव आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं । इसमें 30 आदमियों के हस्ताक्षर हैं जिसमें कहा गया है कि 'गोंडा शहर के नागरिकों की यह बैठक सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव करती है कि दिनांक 14-2-73 को मां दुर्गे मन्दिर पर मुहर्रम के दिन पूर्व नियोजित हिंसात्मक हमला मुस्लिम गुंडों द्वारा किया गया। उसके लिये नगरपालिका का चेयरमैन, श्री हाजी मुहम्मद इब्राहिम मूल रूप से जिम्मेदार है । इस दंगे में शामिल गुंडों को पकड़ने में न तो पुलिस तत्परता बरत रही है न ही दंगे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है इस पर हम घोर असन्तोष व्यक्त करते हैं ।'

इस प्रस्ताव को पास करके डी0 आई0 जी0 को दिया गया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वे इस मामले की छानबीन करेंगे और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ओर से पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर उनके बचाव का प्रयास हो रहा है। उनको बचाने के लिये पहला हथकन्डा तो यह खेला गया है कि इस मामले की जूडिशियल इन्क्वायरी कराने की बात की जा रही है । आप जानते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी तो सच्ची इन्क्वायरी होती है और उसमें साल भर से ज्यादे का समय लग जाता है जजमेंट होने पर। अभी तक इस मामले की केवल दो पेशियां ही हुई हैं। तीन महीने हो गये हैं कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस वाले साफ-साफ कह चुके हैं कि हमारा उन्हें पकड़ने से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार की ओर से नाजायज दबाव डाला जा रहा है।

वहां पर नगरपालिका के 19 सदस्य हैं जिनमें कि 16 सदस्य कांग्रेस के हैं और 7 मेम्बरों द्वारा हाजी मोहम्मद इब्राहीम के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन उसके बाद वह अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने जो हथकन्डा खेला है, वह निन्दनीय है। शंकरदयाल शर्मा से कहा गया कि आप इस मामले की जांच करायें। जिस व्यक्ति का नाम 302 में टाप पर लिखा हो उसे न पकड़ा जाय और रिक्शा वाले को, तांगे वाले को,गरीब आदमी को फौरन ही पकड़ लिया जाय, तो यह ठीक बात नहीं है। अगर इन लोगों को पकड़ने में कोई परेशानी हो रही ह तो उसका क्या कारण है? मंत्री जी बतायें?

मुझे मालूम हुआ है कि जूडिशियल इन्क्वायरी हो रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वहां की पुलिस क्या काम कर रही है? 18 तारीख को दिल्ली से सुभद्रा जोशी आती हैं और वहां के एस0 पी0 को धमकाया जाता है कि आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। म कहना चाहता हूं कि कौन सी खास बात है, वे चेयरमैन हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, उनकी जमानत हो सकती थी। लेकिन इस मामले को अलग क्यों रखा जा रहा है? इस दंगे को निष्पक्ष भाव से क्यों नहीं देखा जा रहा है। मैं कहता हूं कि मुहम्मद गजनवी और मुहम्मद गोरी के जमाने में न मालूम कितने मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया और आज भी वही हो रहा ह। पुण्य और पवित्र मन्दिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। क्या इसे कोई बरदाश्त कर सकता है? आपकी गरिमा और आपके मान सम्मान को धक्का लगेगा। इस तरह से अगर गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करती है तो वह क्या कभी चल सकती है? इसीलिये मैं चाहता हूं कि नियम 49 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आया है उस पर आप अपने विचार रखें और बतलावें कि आखिर इसके पीछे

[श्री त्रिवेणी सहाय]

कौन से कारण थे जिससे उनको बचाया गया है और एक विशेष इन्क्वायरी का बहाना लिया गया है ?

*गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्य ने जो अपनी भावनायें गोंडा के इस दंगे के सम्बन्ध में व्यक्त की हैं, उस सम्बन्ध में मैं क्या कहूं । जब एक आदमी का दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है तो वह एक दृष्टि से ही देखने का प्रयास करता है, व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसी भावनाओं का व्यक्त होना कोई असम्भव सी बात नहीं है । यह मानी हुई बात है कि साम्प्रदायिक दंगे जो होते हैं, उसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसके पीछे लगे रहते हैं और अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लग कर उससे अपनी स्वार्थ सिद्ध करते हैं । यह तो मानी हुई बात है कि चाहे मुहर्रम का त्योहार हो, चाहे होली, ईद या दिवाली का त्योहार हो, ये ऐसे त्योहार हैं जिनको लोग अपने-अपने दृष्टिकोण से मनाते हैं । लेकिन जब कोई भी अपने मजहबी त्योहार को मनाता है और दूसरा उसमें कोई अड़ंगा डाल कर व्यतिक्रम पैदा करता है, तो यह कोई उचित बात नहीं है ।

माननीय सदस्य उन बातों पर भी प्रकाश डाल देते तो उचित होता कि किन पस्थितियों में वहां दंगा हुआ और कौन सी ऐसी परिस्थिति सामने आयी जिससे साम्प्रदायिक दंगे की रूपरेखा वहां उत्पन्न कर दी गयी । माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि न्यायिक जांच की घोषणा करके मामले को दबाने की कोशिश की गयी । यह कितनी विडम्बना की बात है कि एक तरफ तो माननीय सदस्य ने न्यायिक जांच की बड़ी प्रशंसा की कि शासन ने यह बड़ा अच्छा किया जिससे सही स्थिति सबके सामने आ गयी और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि न्यायिक जांच की घोषणा करके शासन ने अन्याय किया है । मान्यवर, अब इसका क्या उत्तर दिया जा सकता है ? यह तो मानी हुई बात ह कि न्यायिक जांच में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी द्वेषवश फंसाने की कोशिश करता है या उसे जेल ले जाने की कोशिश करता है और उससे अपना स्वार्थ साधन करना चाहता है तो न्यायिक जांच से स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है ।

एफ0 आई0 आर0 में किसी का नाम दे देने से ही यह जरूरी नहीं है कि उसे पकड़ कर जेल भेज दिया जाय । हो सकता है कि किसी ने साम्प्रदायिक द्वेष से या और किसी द्वेष से नाम दे दिया हो एफ0 आई0 आर0 में । माननीय सदस्य का ही अगर कोई आदमी इस तरह से नाम दे दे तो यह जरूरी नहीं है कि बिना इनवेस्टिगेशन के ही उनको बन्द कर दिया जाय । उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया या उनके त्याग-पत्र देने की बात आयी, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी जिससे यह सब हुआ, इसकी जानकारी माननीय सदस्य को करानी चाहिये थी ।

मान्यवर, वास्तव में प्रशासन का महत्व तो और भी बढ़ता है कि प्रशासन ने अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए और अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए हर चीज से परे होकर न्यायिक जांच की घोषणा कर दी, अपना टर्म्स ऐंड रेफेरेंन्स सामने दे दिया । यह कहना कि उसने किसी को बचाने की कोशिश की है, यह तो बड़ा ही अन्याय है और अकारण ही एक तरह से किसी के ऊपर दोषारोपण करना है ।

यह कहा गया कि श्रीमती सुभद्रा जोशी आयीं और उन्होंने सरकार के निर्देश से अधिकारियों को मना कर दिया । यह तो एक तरह से अरण्यरोदन और प्रलाप सा है जिसके लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं है । लेकिन इतना म जानता हूं कि हम इसकी न्यायिक जांच करा रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, कृपया मंत्री जी यह बता दें कि एफ0 आई0 आर0 में कितने लोगों के नाम दर्ज थे और कितने गिरफ्तार किये गये और शेष क्यों नहीं गिरफ्तार किये गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में जो नाम आये हैं उनको हम गिरफ्तार करते चले जा रहे हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, यह बता दें कि कितनी गिरफ्तारियां कीं और शेष की क्यों नहीं कीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में नाम दे देना ही गिरफ्तारी के लिये पर्याप्त नहीं है केवल एफ0 आई0 आर0 की दुहाई देना और उसको रखने वाले आप लोग ही हैं।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल---

आपने कई दफा कहा है कि एफ0 आई0 आर0 में उसका नाम था इसलिये गिरफ्तार किया गया ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

एफ0 आई0 आर0 में नाम आता है और उसको यदि पुलिस समझती है तो गिरफ्तार करती है। लेकिन पार्टीबाजी, साम्प्रदायिकता की दृष्टि से वह गिरफ्तार नहीं करती है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

आप लोगों की यह दो दृष्टिकोण वाली बात सही नहीं है और हमारे यहां एक ही दृष्टिकोण है। ऐसा क्यों है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यदि इसी उदारता का यह परिचय देते तो फिर रोना किसी बात का नहीं था। स्थिति यह है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इसी को अरण्यरोदन कहते हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, न्यायिक जांच...

श्री उपाध्यक्ष---

इन परिस्थितियों में अब हम कल दिन के 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
10 मई, 1973

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के ता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 238 पर]

सूची

अभ्यर्थी का नाम	योग्यता	अनुभव	अभ्युक्ति
1--स्नेह प्रभा सक्सेना	एम0 ए0 2 (फिजिक्स) बी0 टी0	शून्य	अनुपस्थित
2--शक्ति सक्सेना ..	एम0 ए0 2 (संस्कृत) पी0 एच0 डी0	शून्य	अनुपस्थित
3--श्रीमती शान्ति देवी गुप्ता	एम0 ए0 (संस्कृत) एम0 ए0 (भूगोल) बी0 टी0	अध्यापिका एक वर्ष प्रधानाध्यापिका दो वर्ष प्रधानाचार्य दस वर्ष	अनुपस्थित
4--सरोज श्रीवास्तव	एम0 ए0 2 (हिन्दी) एम0 एड0	तारा गर्ल्स इण्टर कालेज, बहराइच में प्रधानाचार्या	उचित माध्यम से प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा
5--पूर्ण चन्द्रा ..	एम0 ए0 3 (हिन्दी) एल0 टी0	1956 से ए0 के0 पी0 इंटर कालेज, शाहजहांपुर में प्रधानाचार्या	उचित माध्यम से प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा
6--कु0 मिथिलेश कुमारी	एम0 ए0 3 (राजनीति) बी0 एड0	2 वर्ष अध्यापन 1 वर्ष प्रवक्ता	सुयोग्य नहीं पाई गईं।
7--श्रीमती कृष्णा सक्सेना	एम0 ए0 (राजनीति) एम0 ए0 (हिन्दी) एल0 टी0	3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव	सुयोग्य नहीं पाई गईं।
8--कु0 लक्ष्मी सक्सेना	एम0 ए0 2 (हिन्दी) एल0 टी0	शून्य	सुयोग्य नहीं पाई गईं।
9--कु0 सुशीला श्रीवास्तव	एम0 ए0 3 बी0 एड0	अध्यापन छः वर्ष	सुयोग्य नहीं पाई गईं।
10--श्रीमती विद्या गुप्ता	एम0 ए0 2 (हिन्दी) एल0 टी0	सात वर्ष अध्यापन एक वर्ष प्रधानाचार्या	सुयोग्य नहीं पाई गईं
11--श्रीमती शाहाना चटर्जी	एम0 ए0 3 (अंग्रेजी) एल0 टी0	सत्तरह वर्ष अध्यापन 2 वर्ष प्रधानाचार्या	सुयोग्य पाई गईं।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 261 पर)

सनेही, पुत्र पूरन द्वारा बताये गये सहअभियुक्तों के नाम

जगन्नाथ, पुत्र राम लाल, नरायन, पुत्र राम सहाय, सोहन लाल, पुत्र राम सहाय, हेत सिंह, पुत्र चुतुर, नेकराम, पुत्र चतुरी, पांपी उर्फ रामस्वरूप, पुत्र बलदेव, बलवन्त, पुत्र मलूका, शिवराम, पुत्र जाहरी, डम्बर, पुत्र चिम्मन, किसना अकवाम बधिक सानि, बाग बधित थाना, सहपऊ नेत्रपाल ठाकुर नगला, महासुख सेवती अहेड़िया सलेमपुर, पी० एस० सहपऊ ने अठई निवासी मगवाई थाना जलेसर।

उदय प्रताप सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 262 पर)

1 जनवरी, 1973 से 10 मार्च, 1973 तक पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र के आदेश से रिवर्ट किये गये सहायक थानाध्यक्षों का विवरण

नाम	रिवर्ट होने के पूर्व किन थानों पर नियुक्त थे।	कितने दिनों से सरकारी सेवा में थे। (रिवर्ट होने की तिथि 30 जनवरी, 73 को)	उनके आचरण पुस्तिका में कितनी शिकायतें दर्ज थीं।	रिवर्ट करने का कारण।	उनके स्थान पर जिन लोगों की नियुक्ति हुई उनका नाम।	उनके स्थान पर नियुक्त होने के पूर्व वे किन थाने पर किन पदों पर नियुक्त थे।
		व० म० दिन				
1—श्री चन्द्रदेव राम ..	कोतवाली ..	30–6–28	3	कार्य संतोषजनक नहीं था तथा उनका निम्नकोटि का अन्वेषण कार्य पाया गया	गिरजेश दत्त मिश्रा	मालखाना मोहर्रिर
2—गिरजानन्द राय ..	बांसगांव ..	28–0–21	5	"	हीरा सिंह	हे० मु० थाना राजघाट
3—श्री राम सरोख सिंह ..	पुरन्दरपुर ..	29–2–11	2	"	अयोध्या सिंह	हे० मु० थाना राजघाट
4—श्री बाल्मीकि सिंह ..	झंगहा ..	25–1–7	3	"	शिवजी राय	हे० मु० चौकी सिसवां थाना कोठीभार
5—श्री महेश नारायण सिंह	गगहा ..	25–8–22	8	"	अम्बिका प्रसाद सिंह	हे० मु० क्षेत्राधिकारी पिपराइच

अविनाशी विधान सभा

6—श्री प्रयाग दत्त तिवारी	कैन्ट	..	21–1–19	3	"	सुरेश्वर ओझा	हे0 मु0 थाना कैन्ट
7—श्री परमहंस मिश्रा ..	बांसगांव	..	25–10–28	..	"	विरेन्द्र सिंह	हे0 म0 चौकी सरहरी थाना गुलरिहा ।
8—यदुनन्दन सिंह ..	गुलरिहा	..	25–5–4	3	"	छागुर सिंह	हे0 मु0 चौकी सेवतरी थाना नवतनवां ।
9—श्री मो0 शगीर ..	शहजनवां	..	28–0–28	5	"	रामछबिला सिंह	हे0 कां0 थाना सहजनवां ।
10—श्री परमेश्वर सिंह ..	बड़हलगंज	..	26–0–13	3	"	ज्वालाशंकर तिवारी	हे0 मु0 थाना खोराबार

अवध विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 265 पर)

तालिका

अलवुर पतिछवलेश्वर—
रामस्वरूप
गजाधर सिंह
भगवान सिंह

असगरपुर—
मकरन्द सिंह
जुगराज सिंह
महिला चन्द्र

आसावला—
बृजनन्दन लाल
बाबूराम
सत्यराम
केशव सरन
रामदास

कुईया खेड़ा—
कैलाश बिहारी

सोना जानकीपुर—
अतर सिंह
रामस्नेही
वीरेन्द्र सिंह
रघुवर दयाल
श्याम लाल
जगदीश प्रसाद
रामगुलाम
जीवा राम

ऊगरपुर—
हृदय राम
लाखन सिंह
चिरौंजी लाल
बांकेलाल

जिरखापुर—
मानिक चन्द्र
राजबहादुर

अब्बा—
राम चन्द्र
श्री पाल

छिछनी—
रघुनाथ प्रसाद
मान सिंह

हरसिंह पुरगांवा—
रामस्नेही
रतीराम
महेन्द्र पाल
काशमीर सिंह
जगवीर सिंह

गंगलई—
रामस्वरूप
भुवनेश्वर दयाल

फिलसरा—
सूरजपाल
रामचरन
मेवाराम

लहरा—
लाखन सिंह
बल्वन्त सिंह
नरेन्द्र पाल सिंह

रजलामई—
बालकराम
विश्राम सिंह
लखमी सिंह
अमर सिंह
शिवराम सिंह

चम्पतपुर—
जयसुखलाल
गंगाचरन
हरनन्दन

बगला बकू—
कैलाश चन्द्र
हवलदार
ईश्वरदयाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अमलैया आशानन्द—

सूरजपाल
कृष्णपाल सिंह
हरनाथ सिंह
रनबीर सिंह
बाबूराम

घुमुईयारसूलपुर—

बृजभान सिंह
महेशचन्द्र
रामग्रौतार
बृजनन्दन लाल

मंगवा—

शफीक मुहम्मद
रघुबीर सहाय
गजराजसिंह
देवरूप
जयनरेन्द्र

दनियापुर—

बीर सहाय
आशाराम

बेलासराय गजा—

लक्ष्मीनरायन
रामाधीन

भगवानपुर—

मंशीलाल

फरीदपुर सदवाड़ा—

भगवती प्रसाद
शफ़न्दीज

कुईयाधीर—

रामचन्द्र
दादाभाई नौरोजी
भैरो प्रसाद

सुकुल्लापुर—

रामकिशोर
कृष्णदत्त
सोहनलाल
सरनाम सिंह
बालकराम

रोशनाबाद—

बृजनन्दन लाल
राजेन्द्र प्रसाद
जबर सिंह
राम सिंह
चन्द्रशेखर

शमसाबाद—

रामेशवरदयाल
मूनसखां
जबर सिंह
मियाशेर खाँ
आनन्द प्रकाश
बाबराम
रामप्रकाश
श्रीकृष्ण
रामदेव
कृष्णदत्त

किसरोली—

जगदीश प्रसाद
ओमप्रकाश
जंगीलाल
सुरेन्द्र सिंह
रामबिलास

मूसेपुर—

भारत सिंह
अली मुहम्मद

उलियापुर—

शीशराम
रमेशचन्द्र
खशीराम

बेहटावल्लू—

बृजनन्दनलाल
कृष्ण कुमार

सेदपुर इमादपुर—

लालता प्रसाद

खिनमिनी—

श्याम सिंह
रामसनेही
रामप्रकाश
हरी शरण
रामसनेही

कुईयाखेड़—

बृजभूषण
गंगाशरण

उत्तर प्रदेश सभा

मंझना —

राजेन्द्र सिंह
लाल बहादुर
जयदत्त सिंह
गिरन्द सिंह
रामसेवक
सत्यराम
बीरेन्द्र प्रकाश
कैलाशचन्द्र
उधोसिंह
जरामबिलास

बरई—

श्यामबिहारी—
धनपाल
सुरेशचन्द्र

मगोना—

रामसेवक
महेन्द्र पाल सिंह
लालाराम
रामनिवास

छेलगंज

जहान सिंह
रक्षपाल
सुल्तान सिंह
बीरेन्द्र प्रकाश
बृजभान सिंह

डुम्मरपुर—

हरसहाय
कलाश चन्द्र
बीरपाल
विद्यावती

कुंदा खेड़ा—

किशोरीलाल
बेचेलाल
हरप्रसाद
आशाराम

सुल्तानपुर—

महेन्द्र सिंह
रामनिवास
बुद्धपाल

महमदगंज—

देशराज सिंह
रामचन्द्र

डुबरी—

प्रेमी लाल
रामअोतार
रघुनन्दन प्रसाद

रमापुर जसू —

चिरौंजी लाल
हनुमान सिंह
छोटेलाल
हरनन्दन सिंह

मुरहठी—

पुत्तूलाल
कृष्णलाल
भारत सिंह
नवीन चन्द्र

चौरासिया मझोला—

विशम्भरनदयाल
कप्तान सिंह
समर सिंह
राजेन्द्र सिंह

खडनाखार—

दीपचन्द्र
चन्द्रभान
अगौती प्रसाद
दयाराम

प्रहलादपुर—

जगरूप सिंह
मुख्तयार सिंह
मेवाराम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मिडौली—

गंगादीन
बृजनन्दन लाल

सुल्तान गुरखेरदा—

नाथूराम
जयनरायन

सन्तोषपुर—

राधेश्याम
रवेन्द्र सिंह

सैदपुर इमादपुर—

उदयचन्द्र

मकुसा—

गंगाराम

अजीजाबाद—

रामसनेही
लाखनसिंह

इमादपुर घमरई—

लालमण
शम्भूदयाल
अतर हुसेन

विधान सभा पुस्तकालय

पी0एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 51 एल0 ए0—1974—835 (हि0)।